मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2021-2022

महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

MADHYA P
मध्य प्रदेश

MADHYA
मध्य प्रदेश

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2021-2022

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

श्री शिवराज सिंह चौहान
माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

सचिवालय

अपर मुख्य सचिव – श्री अशोक शाह
अपर सचिव – श्रीमती स्वाति मीणा नायक
अपर सचिव – श्री राकेश सिंह
उप सचिव – श्री अजय कटेसरिया

संचालनालय महिला एवं बाल विकास

संचालक – डॉ. राम राव भोंसले

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

अध्यक्ष – श्रीमती अमिता चपरा
प्रबंध संचालक – श्रीमती स्वाति मीणा नायक

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग

अध्यक्ष – रिक्त
सदस्य सचिव – श्री शिवकुमार शर्मा

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग

अध्यक्ष – रिक्त
सदस्य सचिव – श्रीमती शुभा वर्मा

अनुक्रमणिका

सामान्य परिचय

- विभाग का परिचय 1
- विभाग के दायित्व 3
- विभागीय संरचना 5

किशोरी सशक्तिकरण

- लाड़ली लक्ष्मी योजना 9
- शौर्या दल 12
- उदिता योजना 15
- बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना 17
- पंख अभियान 19

महिला सशक्तिकरण

- वन स्टॉप सेन्टर (सखी) 23
- स्वाधार गृह 25
- जबाली योजना 26
- महिला हेल्प लाईन 181 27
- सेफ सिटी कार्यक्रम 28
- महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 29
- मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड 30
- कामकाजी महिला वसति गृह योजना 30
- राष्ट्रीय झूलाघर योजना 31
- मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना 32
- महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु बैंक ऋण की उपलब्धता 35
- मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम 36
- मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग 40

मातृ एवं शिशु स्वास्थ

- आँगनवाड़ी सेवाएं 45
- एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम 48
- पोषण आहार 51
- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल 54
- आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण 56
- प्रशिक्षण 58
- अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन 60
- पोषण अभियान 63
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 68

बाल संरक्षण

- समेकित बाल संरक्षण योजना 71
- जवाहर बाल भवन 77
- मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग 79

मूल्यांकन एवं निगरानी 85

सामुदायिक सहभागिता एवं प्रचार गतिविधियां 91

बजट

- बजट – एक समग्र विश्लेषण 107
- जेंडर बजटिंग 111
- चाईल्ड बजटिंग 112

सामान्य परिचय

विभाग का परिचय

महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। वर्ष 1988–1989 में इसे पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया गया। विभाग प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिये कई योजनाएं संचालित कर रहा है। इनमें एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आंगनवाड़ी सेवाएं), पोषण अभियान, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेन्टर, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाडो अभियान, शौर्या दल, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, उदिता योजना, अटल बिहारी वाजपेयी बाल अरोग्य पोषण मिशन, मंगल दिवसों का आयोजन, सेफ सिटी कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु प्रदेश शासन द्वारा किए गये प्रयासों को भारत सरकार द्वारा सराहा और पुरस्कृत किया गया है। अन्य राज्यों द्वारा इन प्रयासों को अपनाया भी गया है। इन प्रयासों से ही प्रदेश में भी मानव विकास सूचकांकों में सुधार दर्ज हो रहा है।

विभाग के दायित्व

- विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुँच सके।
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के साथ स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें कुपोषण से बचाना।
- विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के लिये प्रयास करना।
- प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
- महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- महिलाओं की स्वायत्तता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए, उनकी स्थिति में निरन्तर सुधार लाने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय।

आँगनवाड़ी केन्द्र- बखतला (जमरापुरा)
महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना गंधवानी जि.धार
क्र. पद नाम मो. नं.
1. जिला कार्यक्रम अधिकारी - श्री सुभाष जैन —— 9752795255
2. परियोजना अधिकारी - सु.श्री शंकुतला बामनिया - 8435226011
3. सेक्टर पर्यवेक्षक —— श्रीमती मंजुला शर्मा —— 8718095800
4. आँगनवाड़ी कार्यकर्ता - श्रीमती गोमती गेहलोत — 9589947901
5. आँगनवाड़ी सहायका - श्रीमती सन्तुबाई रावत — 9302651159
6. आशा कार्यकर्ती —— श्रीमती रेशम रावत —— 7566108356
7. ए.एन.एम. —— श्रीमती सुशिला मण्डलोई - 7000908310

विभागीय संरचना

शासन स्तर (मंत्रालय)

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव – 1

▼

अतिरिक्त सचिव / उप सचिव – 1

▼

अवर सचिव – 2

▼

अनुभाग अधिकारी – 2

▼

कार्यालयीन अमला

संचालनालय की संरचना

आयुक्त (आई.ए.एस.) – 2

▼

अपर संचालक – 5

▼

संयुक्त संचालक – 8

▼

उप संचालक – 10

▼

सहायक संचालक – 18

▼

लेखाधिकारी – 3

▼

कार्यालयीन अमला

संभाग से आँगनवाड़ी स्तर तक

संभागीय संयुक्त संचालक – 10

▼

क्षेत्रीय समन्वयक, महिला संसाधन केन्द्र (संयुक्त संचालक संवर्ग) – 3

▼

संभागीय उप संचालक – 10

▼

सहायक संचालक (संभागीय कार्यालय) – 10

▼

जिला कार्यक्रम अधिकारी – 51

▼

सहायक संचालक (जिला कार्यालय) – 150

▼

मुख्य निर्देशिका, आँगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र – 10

▼

बाल विकास परियोजना अधिकारी संवर्ग (बाल विकास परियोजना अधिकारी/विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी/प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर) – 816

▼

पर्यवेक्षक + आंगनवाड़ी कार्यकर्ता + सहायिका + कार्यालयीन अमला

बाल भवन एवं संस्थाएं

संयुक्त संचालक (बाल भवन) – 1

▼

सहायक संचालक (बाल भवन) – 7

▼

अधीक्षक आईसीपीएस (उप संचालक) – 1

▼

अधीक्षक आईसीपीएस (सहायक संचालक) – 26

▼

सहायक संचालक (संस्थायें) – 4

▼

प्रशासक वन स्टॉप सखी सेंटर – 50

▼

कार्यालीन अमला

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, मध्यप्रदेश

संयुक्त संचालक – 1

▼

वित्तीय सलाहकार – 1

▼

सहायक संचालक – 1

▼

कार्यालीन अमला

किशोरी सशक्तिकरण

लाड़ली लक्ष्मी योजना (ई–लाडली)

स्वावलंबी बालिका – सशक्त समाज का आधार

बेटियों के बारे में समाज में व्याप्त नकारात्मक सोच, लड़कों की तुलना में उनकी कम होती संख्या, बालिका शिक्षा की कमजोर स्थिति, बेटियों को जल्दी ब्याह देने की प्रवृत्ति जैसी समस्याओं के निदान एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना–01 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ की गई। योजना को वर्ष 2014–15 में रि–विजिट किया जाकर ई–लाडली में परिवर्तित किया गया। जिसके तहत् लोक सेवा केन्द्र/ इंटरनेट कैफे/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ऑनलाईन/ ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। जनसामान्य एवं प्रशासनिक सुविधा हेतु विभाग द्वारा वेबसाइट www.ladlilaxmi.mp.gov.in संचालित की जा रही है।

प्रदेश की बालिकाओं को मिलने वाले लाभ को स्थायी बनाने हेतु सरकार द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2018 को ''मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 लागू किया गया, जो प्रत्येक बालिका को मिलने वाली राशि की गारन्टी प्रदान करता है। अधिनियम के तहत् ''मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) नियमों का भी प्रकाशन किया गया है।

पात्रता एवं शर्ते

1. 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिकायें।
2. अनाथालय/बाल संरक्षण गृह में निवासरत बालिकायें या दत्तक पर गई बालिकायें।
3. माता–पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
4. बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
5. माता–पिता आयकर दाता न हों।
6. केवल दो संतान हेतु।
7. द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य।

योजना के लाभ

1. बालिका को रूपये 1,18000/– का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है।
2. बालिका के कक्षा 6वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/–, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रूपये 4000/–, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/– एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/– छात्रवृत्ति के रुप में दिया जाता है।
3. बालिका को उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर रूपये 1 लाख की राशि, बालिका का विवाह, 18 वर्ष की आयु पूर्व न होने व कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर ई–पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होगी। राशि के भुगतान हेतु राज्य शासन के लोक लेखा में मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि के रूप में राशि जमा की जायेगी। जिससे स्वीकृत हितग्राहियों को अंतरिम व परिपक्वता राशि प्रदाय की जायेगी।

योजना को प्रभावी बनाने हेतु संशोधन

- जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है, तथा पूर्व से ही दो बच्चे हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
- जेल मे बन्द महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
- स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया है, उन प्रकरणों में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत किये जायेंगे।
- बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा।

प्रभावी परिणामों हेतु सरलीकृत की प्रक्रिया

योजना क्रियान्वयन के समय हितग्राहियों तथा अन्य संबंधितों से मिली प्रतिक्रियाओं तथा सुझावों के आधार पर इस योजना को सरल बनाने हेतु परिवर्तन किये गये हैं। इससे योजना अधिक प्रभावी हो गई है।

लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन

माननीय मुख्यमंत्रीजी के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 14.10.2021 को लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश की लाड़ली बालिकाओं को उनके बेहतर पोषण, स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा उद्बोधन दिया गया।

छात्रवृत्ति वितरण

माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा दिनांक 14.10.2021, दिनांक 21.09.2021 एवं दिनांक 27.07.2021 को योजना अंतर्गत पात्र 1.92 लाख बालिकाओं को राशि रूपये 54.89 करोड़ की छात्रवृत्ति का ऑनलाईन भुगतान बैंक

खातों में किया गया है। साथ ही जिलों की हितग्राही बालिकाओं से माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा संवाद भी स्थापित किया गया। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 3,02,712 बालिकाओं को राशि रूपये 88.38 करोड़ प्रदान की गई।

लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत सभी शासकीय/अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत बालिकाओं के कक्षा 1 में प्रवेश लेने से लेकर 12वीं तक कक्षावार निगरानी हेतु योजना के पोर्टल को शिक्षा पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। आगामी शैक्षणिक वर्ष से लाडली बालिकाओं को शिक्षा पोर्टल से समग्र आई.डी. के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। अभी तक 35.47 लाख लाडली बालिकाओं को समग्र आई.डी के माध्यम से शिक्षा पोर्टल से जोड़ा जा चुका है , जिनके सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

लाड़ली बालिकाओं, को डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण

वर्तमान परिदृश्य में आम नागरिकों में अपनी आमदनी और खर्चों का प्रबंधन करने और बचत के प्रति समझ विकसित करने, उसका उचित नियोजन करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता संबंधी प्रशिक्षण आवश्यक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए लाड़ली बालिकाओं को वित्तीय एवं डिजीटल साक्षरता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए जिला लीड बैंक/RSETI के माध्यम से विभाग की 52 जिलों में पदस्थ पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है, जिनके द्वारा द्वितीय चरण में लाड़ली बालिकाओं को सेक्टर/ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

लाडली लक्ष्मी के बेहतर परिणाम

लाडली लक्ष्मी योजना का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश में बाल विवाह में कमी आई है और जन्म के समय का लिंगानुपात बढ़ा है। NHFS 5 के अनुसार बाल विवाह में 9.3 प्रतिशत की कमी आई है और जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो चुका है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0

लाड़ली बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु विभाग अब लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 तैयार कर रहा है, जिसमें बालिकाओं को उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुनिश्चितता का प्रावधान किया जा रहा है।

उपलब्धियां

मध्यप्रदेश के 52 जिलों के 313 विकासखण्डों के 52117 ग्रामों में योजनान्तर्गत अब तक 41 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

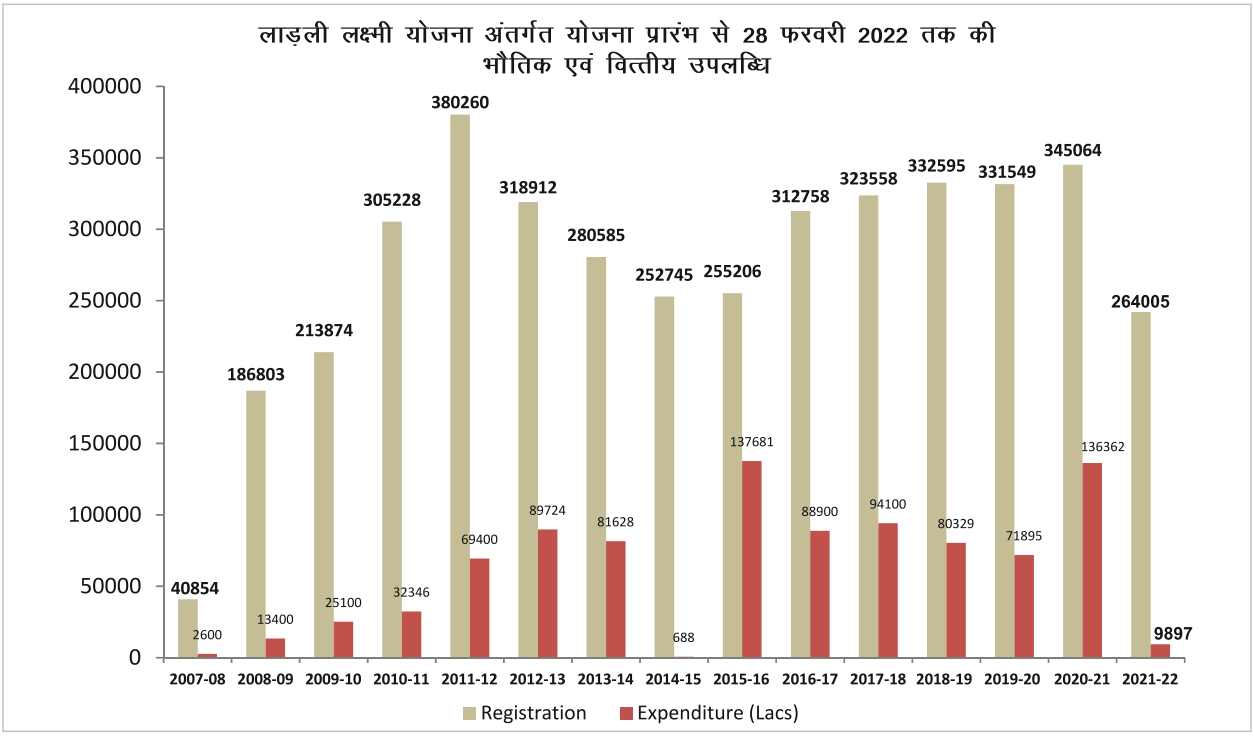

शौर्यादल

भारत के संविधान में महिला व पुरूष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों का हनन ना हो इस हेतु कानून भी बनाये गये हैं। प्रत्येक नागरिक चाहे वह महिला हो या पुरूष अपने संपूर्ण अधिकारों का उपयोग करते हुए सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब उसे अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान हों और वह अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हों।

निर्भया घटना के पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2013 में शौर्या दलों का गठन किया गया। शौर्या दलों के गठन का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर ही महिला अपराधों की जानकारी प्राप्त करना और अपराध घटित होने से पूर्व ही उसे रोकना था। शौर्या दल में 5 महिलाएं एवं 5 पुरूष कुल 10 सदस्य थे जिनका कार्य समाज में महिलाओं व बालिकाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्माण, योजनाओं का प्रचार–प्रसार, अपराधों की जानकारी, समझाईश आदि था। शौर्या दलों का गठन प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के छः जिलों से किया गया। इन छः जिलों में शौर्या दलों द्वारा घरेलू हिंसा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ट्रेफिकिंग आदि में प्रशंसनीय कार्य किया, जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा वर्ष नवम्बर 2016 से प्रदेश के 51 जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया गया।

समस्त किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को एक दल में संगठित कर महिला शक्ति को विस्तार देने के

उद्देश्य से वर्ष सितम्बर 2020 में शौर्या दल को नवीन स्वरूप में परिवर्तित कर प्रदेश के समस्त 52 जिलों के ग्राम/वार्ड/आंगनवाड़ी स्तर पर शौर्यादल का गठन किया गया है।

उद्देश्य

- आदिवासी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना, जहां वे स्वयं के आस्तित्व व विकास की सोच को सुदृढ़ कर सकें।
- महिलाएं व किशोरी बालिकाएं अपने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों एवं इनका उपयोग करनें में सक्षम हों।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आदि के क्षेत्र में महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं अपनी समान पहुँच बना सकें।
- महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच, कुप्रथाओं, भेदभावों में परिवर्तन लाना।
- महिलाओं व किशोरी बालिकाओं के मुद्दों को समाज के समक्ष दृढता से प्रस्तुत करना।
- सामाजिक विकास में महिलाओं व किशोरी बालिकाओं की भागीदारी को बढावा।
- महिलाओं व किशोरी बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना।

गठन एवं स्वरूप

1. प्रत्येक ग्राम/वार्ड/आंगनवाडी क्षेत्र पर शौर्यादल का गठन किया जाता है। जिसमें ग्राम/वार्ड/आंगनवाडी क्षेत्र की समस्त इच्छुक 15 से 45 वर्ष आयु की बालिका/महिलाएं सदस्य होती है।
2. शौर्यादल के सदस्यों में से एक प्रबंधन समिति एवं 4 विशेष कार्य समितियां होती है।
3. 04 विशेष कार्य समितियों इस प्रकार हैं–

4. बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बालिका शिक्षा)
5. स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता
6. आर्थिक सशक्तिकरण
7. कुप्रथा एवं महिला हिंसा रोकथाम

इनके अतिरिक्त समय–समय पर आवश्यकतानुसार अन्य समितियां बनाई जा सकेंगी।

शौर्यादल के सामान्य कार्य

1. महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों से संबंधित कार्यों, शासकीय योजनाओं की जानकारी देना।
2. आंगनवाड़ी केंद्र में दी जा रही सेवाओं में सहयोग करना।
3. महिला व बालिकाओं से संबंधित मुद्दे, जैसे बाल विवाह, दहेज–प्रथा, घरेलु हिंसा, लिंग आधारित भेदभाव, आदि पर ग्रामवासियों को जागरूक करना।
4. कुप्रथा व अपराध से प्रभावित महिला व किशोरी बालिका को सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना।
5. सभी शाला त्यागी व शाला अप्रवेशी बालिकाओं को शाला में प्रवेश कराना।
6. शाला जाने की उम्र पार कर चुकी बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर्यवेक्षक को सूची उपलब्ध कराना।
7. अशिक्षित महिलाओं के लिए साक्षरता कक्षाएं चलाने पर्यवेक्षक को जानकारी देना।
8. ग्राम/वार्ड की महिलाओं को बैंक के कार्य, विभिन्न शासकीय विभागों, अस्पताल, पुलिस स्टेशन पर थ्रू लिखना, आदि कार्यों की जानकारी देना।
9. महिलाओं को उनकी क्षमता व योग्यता के अनुसार छोटे–छोटे लघु उद्योग स्थापित करने प्रोत्साहित करना तथा संबंधित विभाग की जानकारी देना।
10. किचन गार्डन अनाज बैंक, जैसी समाजोपयागी योजनाऐं बनाना।
11. एनीमिया, कुपोषण पर जागरूकता फैलाना व ऐसे प्रकरणों को ए.एन.एम को बताना।
12. प्रत्येक माह दो बार बैठक आयोजित कर अपने ग्राम की महिलाओं बालिकाओं व बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता पर चर्चा करना।
13. बैठकों में ग्राम/व्यक्तिगत समस्या पर मिल बैठकर विचार विमर्श करना तथा समस्या को हल करने प्रयास करना।
14. ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भाग लेना।
15. वन स्टॉप सेंटर का भ्रमण व समन्वय करना।
16. ग्राम की शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु, प्रति वर्ष जन्म ले रही बालिका व बालक की संख्या, सभी प्रसव अस्पताल में होना, टीकाकरण समय पर व पूर्ण हो इसकी निगरानी रखना।
17. ग्राम की प्रत्येकपात्र महिला व बालिका को शासन की योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी रखना।
18. महिला बाल विकास के द्वारा चलाए जाने वाले सभी अभियानों, कार्यक्रमों सम्मेलनों में सहयोग करना।
19. लाडली लक्ष्मी योजना की सभी पात्र हितग्राहीयों को स्कॉलरशिप मिले यह सुनिश्चित करना।

शौर्यादल का गठन

शौर्यादल का गठन प्रत्येक ग्राम/वार्ड/आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्तमान में 1924959 बालिका/महिला शौर्यादल सदस्य है, जिसमें से किशोरी बालिका 795429 एवं महिला 1129530 सदस्य है।

शौर्यादल सदस्यों का प्रशिक्षण

शौर्यादल अंतर्गत गठित शौर्यादलों के अध्यक्ष/समन्वयक/मास्टर ट्रैनर्स का ऑनलाईन प्रशिक्षण दिनांक 30 जुलाई 2021, 28 अगस्त 2021, 16 सितम्बर 2021, 28 अक्टूबर 2021 एवं 11 नवम्बर 2021 को आयोजित किया गया। जिसमें बालिकाओं को पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जागरूकता, स्वच्छता, शिक्षा, कानूनी अधिकार, महिला अपराध, साईबर क्राईम, आदि विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई।

उदिता योजना

किशोरी बालिकाओं में माहवारी स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधित व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में 11 से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं एवं 19 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिये उदिता योजना चलाई जा रही है। माहवारी स्वास्थ्य तथा समुचित माहवारी प्रबंधन के बारे जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ाने, अच्छी गुणवत्ता वाले सैनेटरी नैपकिन के प्रयोग व उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करने, ग्रामीण स्तर पर सैनेटरी नैपकिन की उपलब्धता एवं बालिकाओं तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करने एवं किशोरियों में एनीमिया एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने हेतु उदिता योजना को वर्ष 2015–16 से प्रदेश में लागू किया गया है। योजना अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थापित उदिता कॉर्नर के माध्यम से किशोरियों एवं महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराये जाते हैं।

योजना के उद्देश्य

- किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं में माहवारी स्वच्छता तथा समुचित माहवारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता पैदा करना।
- माहवारी चक्र के बारे में किशोरियों में जागरूकता बढ़ाना।
- विषय से जुड़े हुए प्रश्नों एवं भ्रांतियों का समाधान करना।
- किशोरियों को अच्छी गुणवत्ता वाले सैनेटरी नैपकिन के प्रयोग व उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण स्तर पर सैनेटरी नैपकिन की उपलब्धता एवं किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करना।

- उपयोग में लाए गए सैनेटरी नैपकिन का पर्यावरण की दृष्टि से उचित एवं सुरक्षित ढंग से निपटान करने की सुविधा सुनिश्चित करना।
- किशोरियों मे एनीमिया एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना।

वर्ष 2021–22 में आयोजित गतिविधियां

28 मई अंर्तराष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस पर ऑनलाईन वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार का यू–टयूब, फेसबुक एवं ट्वीटर पर लाईव प्रसारण किया गया। वेबिनार में माहवारी चक्र, इससे संबंधित भ्रांतियां, स्वास्थ्य समस्यायें एवं घरेलू प्रबंधन का विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। कोविड–19 में सैनेटरी नैपकिन की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को कपड़े के रियूजेबल सैनेटरी नैपकिन बनाना भी सिखाया गया। ऑनलाईन वेबिनार में 47100 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

13527 आंगनवाड़ी केन्द्रों की 01 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 01 सहायिका, 04 स्वसहायता समूह की महिलाओं तथा 04 शौर्या दल की बालिकाओं/शाला त्यागी बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता एवं प्रबंधन तथा कोविड–19 में सैनेटरी नैपकिन की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए कपड़े के रियूजेबल सैनेटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। ये महिलाएं एवं बालिकाएं प्रशिक्षित होकर आगे अन्य महिलाओं व बालिकाओं को प्रशिक्षित करेंगी।

वर्ष 2021–22 की उपलब्धि

NFHS-4 (2015–16) के अनुसार प्रदेश में 15 से 24 वर्ष की युवतियों द्वारा माहवारी के समय स्वच्छ साधनों के उपयोग का प्रतिशत 30.6 था जो NFHS-5 (2019–21) के अनुसार बढ़कर 60.5 प्रतिशत हो गया है। यह योजना की सफलता को दर्शाता है।

वर्ष	स्थापित उदिता कॉर्नर	उदिता कॉर्नर के माध्यम से सैनेटरी नैपकिन प्राप्त/क्रय करने वाले हितग्राहियों (किशोरी बालिकाएँ एवं अन्य महिलाओं) की संख्या
2021–2022	92789	2714699

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

घटता शिशु लिंगानुपात वर्तमान में सम्पूर्ण देश के लिये गहन चिंता का विषय हैं, यदि शिशु लिंगानुपात में यह गिरावट इसी प्रकार बनी रही तो भविष्य में जेंडर असंतुलन की विषम स्थिति से समाज का घोर नैतिक पतन होगा तथा भयावह स्थिति उत्पन्न होगी ।

समस्या की गंभीरता को देखते हुये भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बालिकाओं की देखरेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार हेतु बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना आरम्भ की गई। योजना में वर्ष 2015–16 में प्रदेश के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 6 जिलों भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, रीवा, टीकमगढ़ को एवं 2018–19 में 36 जिले अनूपपुर, अशोकनगर, बडवानी, बुरहानपुर, भोपाल, छतरपुर, दमोह, देवास, धार, गुना, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन, उमरिया, विदिशा को शामिल किया गया। योजना तीन विभागों क्रमशः महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के समन्वय से संचालित हो रही है।

योजना का मुख्य लक्ष्य बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाना एवं उनको शिक्षित करना है।

योजना के उद्देश्य

- जेंडर आधारित लिंग चयन को समाप्त करना ।
- बालिका की उत्तरजीविता तथा संरक्षण सुनिश्चित करना।
- बालिका की शिक्षा एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।
- जेंडर आधारित भेदभाव की मिटाना।

गतिविधियां

1 संबंधित 42 जिलों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार गतिविधियों का आयोजन।

2 संचालनालय द्वारा गतिविधियों के आयोजन हेतु कैलेण्डर जारी किया गया।

3 राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजन।

4 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन।

उपलब्धियां

1 HMIS अनुसार वर्ष 2020–21 में 24 जिलों में लैंत्ठ (जन्म के समय लिंगानुपात) में वृद्धि परिलक्षित हुई है एवं मध्यप्रदेश का SRB-937 हो गया है। वर्ष 2020–21 में प्रदेश के कुल 24 जिलों अनुपपुर, बडवानी, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, देवास, दमोह, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, खंडवा, नरसिंहपुर, पन्ना, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिंगरौली, शिवपुरी, टीकमगढ़, उमरिया में SRB में वृद्धि हुई है।

2 NFHS-5 अनुसार प्रदेश का SRB ग्रामीण क्षेत्र में 959, शहरी क्षेत्र में 948 एवं कुल 956 हो गया है, यह NFHS-4 में 927 था।

3 आत्म विश्वास बढ़ाने एवं शासकीय सेवा में प्रवेश दिलाने के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये गये। पुलिस विभाग में भर्ती हेतु पात्र युवतियों के लिये सशक्त वाहिनी अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। उज्जैन जिले से 04 बालिकाओं का जेल प्रहरी में चयन हुआ एवं सतना जिले की दो बालिकाओं का सी.आर.पी एफ. कॉन्सटेबल के लिये चयन हुआ।

नवदुनिया
भोपाल, गुरुवार 25 नवंबर, 2021

बधाई हो... जागा समाज तो बढ़ने लगीं बेटियां

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट : प्रदेश में 1,000 बेटों पर 956 हुई बेटियां

अब बेटी के जन्म पर उत्सव मनाते हैं माता-पिता

मध्य प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर

शिशु मृत्यु दर में 10 अंकों की गिरावट

पंख अभियान

किशोरावस्था शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, एवं मनोवैज्ञानिक विकास की अवधि है जिसे (Transitional stage) भी कहा जाता है। इस समय जरूरी है उनकी जीवनशैली एवं सपनों को सही ज्ञान, सही जानकारी एवं व्यावहारिक रूप दिए जाने की, इसी तारतम्य में दिनांक 24 जनवरी, 2021 राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मान. मुख्यमंत्रीजी के द्वारा किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं उनके बहुमुखी विकास के लिए पंख अभियान का शुभारम्भ किया गया।

गतिविधियां

- बेटियों का पूजन एवं एक पेड़ बेटी के नाम – प्रदेश में सभी जिलों में कार्य प्रारम्भ से पूर्व बेटियों का पूजन किया गया एवं एक पेड़ बेटी के नाम नवाचार अंतर्गत 4859 बालिकाओं के नाम पर पेड़ लगाए गए।
- बिटिया जन्मोत्सव – जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों में 18893 बालिकाओं को जन्म के समय भेंट देकर जन्मोत्सव मनाया गया।
- सशक्त वाहिनी कार्यक्रम – योजनान्तर्गत बालिकाओं/महिलाओं को सशक्त बनाने एवं पुलिस में भर्ती हेतु जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए।
- पिंक लाइसेंस ड्राइविंग – योजनान्तर्गत आत्मसुरक्षा के तहत निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किये गए।
- अपराजिता कार्यक्रम – खेल विभाग के सहयोग से किशोरी बालिकाओं को मॉर्शल आर्ट (जूड़ो, कराते, ताईक्वांडो) प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम ''अपराजिता'' प्रथम चरण में 21002 बालिकाओं को मॉर्शल आर्ट (जूड़ो, कराते, ताईक्वांडो) में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित बालिकाओं में से 7100 बालिकाओं को मॉर्शल आर्ट का एंडवास कोर्स प्रारंभ किया गया। प्रशिक्षित बालिकायें अन्य बालिकाओं को प्रशिक्षित करेंगी।
- शीरोज एवं जेंडर चैम्पियंस का सम्मान – योजनान्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं 2819 शीरोज एवं 585 जेंडर चैम्पियंस को सम्मानित किया गया।
- नुक्कड़ नाटक/बेबी शो/रैली – प्रदेश में सभी जिलों में बेटियों के प्रति समाज में जनजागरूकता हेतु 4716 नुक्कड़ नाटक/बेबी शो/रैली का आयोजन किया गया।

- नारी की चौपाल/मन की बात कार्यक्रम – जिलों द्वारा 9833 नारी की चौपाल/मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- ग्राम सभा – प्रदेश में लिंगानुपात (CSR) पर चर्चा हेतु ग्राम सभाओ में चर्चा की गई।
- पोषण दिवस एवं स्वास्थ्य परीक्षण – 3821 आंगनबाड़ियों में पोषण दिवस पर एवं 10812 बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
- गुड्डा गुडिया बोर्ड – प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों के प्रति जन जागरूकता हेतु 763 गुड्डा गुडिया बोर्ड लगाये गए।
- बालिका मंच – बालिकाओं को अपने विचार प्रकट करने हेतु 2675 बालिका मंच का आयोजन किया गया।
- सम्मानित पंचायत/फ्रंटलाइन वर्कर – कार्यक्रम अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4384 पंचायत/फ्रंटलाइन वर्कर को सम्मानित किया गया।
- खेलकूद/गायन/नृत्य/रंगोली इत्यादि में उत्कृष्ट कार्य करने वाली/मेधावी 1756 बालिकाओ को सम्मानित किया गया।
- रथ यात्रा/झांकी प्रदर्शन – बालिकाओं के महत्व को जन जागरूकता हेतु जिलों में रथ यात्रा एवं झांकी प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
- जिलों में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रंगोली एवं चित्रकला निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत ग्राम, विकासखण्ड, जिला स्तर पर बाल विवाह रोकथाम दलों का गठन किया गया हैं। विवाह मुर्हुतों पर बाल विवाह रोकने हेतु जिला एवं विकासखण्ड पर कंट्रोल रूम बनाये जाते है। बाल विवाह की सूचना हेतु थाने, चाईल्ड लाईन, कलेक्टर, अनुविभागीय कार्यालय, महिला बाल विकास कार्यालय, परियोजना कार्यालय के दूरभाष नंबर का प्रचार–प्रसार किया जाता है। विभाग अंतर्गत राज्य स्तर पर सहभागिता संवाद ऑनलाईन कार्यक्रम 22 जून 2021 बाल विवाह के सेवा प्रदातों के लिये ऑनलाईन वेबीनार कार्यक्रम किया गया, जिसे 5000 सेवा प्रदाताओं द्वारा यूट्यूब, फेसबुक पर देखा गया। बाल विवाह के 770 से अधिक प्रकरण रोके गये एवं 04 बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में आये जिनमें कानूनी कार्यवाही की गई।
- 20 से 24 वर्ष की महिलायें जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ है, NFHS-4 (2015-16) के अनुसार 32.4% था जो घटकर NFHS-5 (2019-21) के अनुसार 23.1% हो गया है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के समन्वय से शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को शाला/ब्रिज कोर्स में प्रवेश कराने हेतु कैलेण्डर तैयार कर जिलों को प्रेषित किया गया।
- किशोरी बालिकाओं हेतु जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित माडयूल तैयार कर ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

महिला सशक्तिकरण

वन स्टॉप सेंटर योजना

इस योजना में किसी भी तरह की हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर सहायता प्रदाय की जाती है। शत–प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायित इस योजना में आपातकालीन एवं गैर–आपातकालीन सुविधा जैसे–पुलिस–सहायता, विधिक–सहायता, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा–सहायता एवं काउन्सलिंग उपलब्ध करायी जाती है।

लक्षित समूह

वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र और वैवाहिक स्थिति से अपरोक्ष हिंसा प्रभावित सभी महिलाओं/बालिकाओं की सहायता की जाती है। दीर्घ अवधि तक आश्रय की आवश्यकता की स्थिति में महिला को विभाग द्वारा संचालित स्वाधार गृह में भेजा जाता है।

सहायता

वन स्टॉप सेंटर के तहत हिंसा से पीडित महिलाओं को निम्न सेवायें प्रदाय की जाती हैं –

- आपातकालीन स्थिति में महिला को त्वरित रुप से संबल प्रदाय कर उसका असुरक्षित स्थिति से बचाव करना।
- आपातकालीन एवं गैर–आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकीय सहायता प्रदाय करना।
- प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने एवं परिस्थिति के अनुरुप पुलिस सहायता प्रदाय करवाने में सहायता।
- विधिक सहायता एवं परामर्श प्रदाय करना।
- सामाजिक एवं मानसिक दृढ़ता हेतु काउंसलिंग करना।
- अस्थायी आश्रय (5 से 7 दिन) प्रदान करना।

प्रदेश अंतर्गत स्वीकृत वन स्टॉप सेंटर/पंजीकृत महिलायें एवं बजट

वर्तमान में प्रदेश के 52 जिलों में वन स्टॉप सेन्टर संचालित हैं। वर्ष 2021–22 में 28 फरवरी 2022 तक 13579 महिलाओं के प्रकरण पंजीबद्ध कर सहायता पहुँचाई गई है। 487 महिलाओं को कम्प्यूटर ऑपरेटर, कॉल सेन्टर, केयर टेकर, कोचिंग सेन्टर, ब्यूटी पार्लर, हाउस कीपिंग एवं केब ड्राइवर आदि क्षेत्रों में रोजगार दिलाकर आर्थिक सशक्तिकरण किया गया है।

वन स्टॉप सेन्टर एक संवेदनशील योजना है जिसमें पीडित महिलाओं को सेवा प्रदान की जाती है। अतः कोविड काल में वन स्टॉप सेन्टर में कार्यरत कर्मचारियों की गुणवत्ता में सतत् सुधार हेतु प्रशिक्षण वेबिनार के माध्यम विभाग द्वारा आयोजित किये गये। इसमें महिलाओं के कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा

अधिनियम, वन स्टॉप सेन्टर के मानक प्रचलन प्रकिया के संबंध में जानकारी राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई। दिनांक 25 से 30 अक्टूबर, 2021 तक यूनीसेफ के सहयोग से सभी वन स्टॉप सेन्टर के प्रशासकों, काउंसलर्स एवं केस वर्कर का दक्षता संवर्धन प्रशिक्षण किया गया है।

वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु प्रति वर्ष आवर्ती बजट 30.00 लाख प्रति केंद्र के मान से भारत सरकार द्वारा सीधे प्रत्येक जिले के वन स्टॉप सेंटर के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। प्रति पाँच वर्ष में 4.41 लाख प्रति केंद्र के मान से अनावर्ती बजट भी प्रदाय किया जाता है।

जिले में स्थापित वन स्टॉप सेन्टर के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा 48.00 लाख प्रति केन्द्र के मान से फण्ड प्रदाय किया जाता है। 51 जिलों के वन स्टॉप सेन्टर हेतु निर्माण राशि स्वीकृत की गई है। भवन निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन ईकाई द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 33 जिलों में इन्दौर, मुरैना, खण्डवा, रतलाम, रीवा, कटनी, सागर, शहडोल, धार, सीहोर, सीधी उमरिया, डिण्डौरी, बालाघाट, श्योपुर, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, गुना, दमोह, टीकमगढ़, आगर–मालवा, रायसेन, जबलपुर, बैतूल, अनूपपुर, हरदा, पन्ना, अशोकनगर, छतरपुर, दतिया एवं शाजापुर में भवन निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

स्वाधार गृह

कठिन परिस्थितयों में जीवन यापन करने वाली या किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को अस्थायी आश्रय, भावनात्मक समर्थन व परामर्श देना, शिक्षा जागरूकता, कौशल उन्नयन तथा व्यवहार संबधी प्रशिक्षण, पुनर्वास, विधिक सहायता एवं चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रदेश में केन्द्र शासन के सहयोग से स्वाधार गृह संचालित किये जा रहे हैं।

इस योजना में निराश्रित, विधवाएं, जेल से छूटी महिला कैदी, प्राकृतिक विपदाओं से निराश्रित हुई महिलायें, अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाएं, हिंसा से पीड़ित मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं आदि आश्रय गृह में आवास सुविधा सहित पोषण एवं पुनर्वास का लाभ पाती हैं। वर्तमान में प्रदेश में 13 जिलों में 15 स्वाधार गृह स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें वर्तमान में 200 से अधिक महिलाएं व लगभग 50 बच्चे निवासरत हैं।

यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिस पर होने वाले व्यय का केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में भार वहन किया जाता है।

जाबाली योजना

मध्यप्रदेश में वैश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु वर्ष 1992 से जाबाली योजना संचालित है जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्यावृत्ति में लिप्त परिवार को शिक्षण–प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। जाबाली योजना का संचालन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, इस हेतु संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना अन्तर्गत निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं–

1. बच्चों की शिक्षा के लिये आश्रम शाला का संचालन
2. वेश्याओं के लिये आर्थिक कार्यक्रम
3. जनजेतना जागृत करने के लिये प्रचार–प्रसार
4. वेश्याओं के स्वास्थ्य परीक्षण तथा इलाज की योजना

योजनान्तर्गत छतरपुर एवं सागर में आश्रमशाला की 03 ईकाईयां संचालित की जाकर लगभग 143 बच्चे लाभान्वित किये जा रहें हैं।

महिला हेल्पलाइन 181

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के साथ ही महिला हेल्पलाईन 181 की स्थापना सी–21, मिसरोद, भोपाल में की गई है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता, सूचना व सहयोग हेतु महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 181 की सेवायें 1 मार्च 2020 से प्रारंभ की गई है। यह 24X7 संचालित है और इसे प्रदेश के समस्त वन स्टाप सेंटर से एकीकृत किया गया। महिला हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को निम्न सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं:–

- पुलिस/अस्पताल/एम्बुलेंस/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण/संरक्षण अधिकारी/वन स्टॉप सेंटर आदि की सुविधाएं।
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं को शासकीय सेवाओं/योजनाओं की जानकारी।
- परामर्शदाताओं के माध्यम से महिलाओं को भावनात्मक व आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।
- महिलाओं को त्वरित एवं अधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्हाटसअप व एस. एम. एस. से भी जोड़ा गया है ।

कोरोना महामारी के दौरान महिला हेल्पलाइन 181 ने कोरोना सहायता केन्द्र के रूप में भी कार्य किया गया। मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना के प्रकरण भी महिला हेल्पलाइन 181 में लिये गये। आंगनवाडी केन्द्रों के नियमित संचालन एवं केन्द्रों में पोषण आहार के प्रदाय की जानकारी भी महिला हेल्पलाइन 181 द्वारा ली जा रही है। योजना शत प्रतिशत भारत सहायित योजना है।

महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से 1 मार्च 2020 से जनवरी 22 तक 31816 महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसमें से 29582 प्रकरणों का निराकरण किया गया है एवं 2234 प्रकरणों पर निरंतर फॉलोअप लिया जा रहा है।

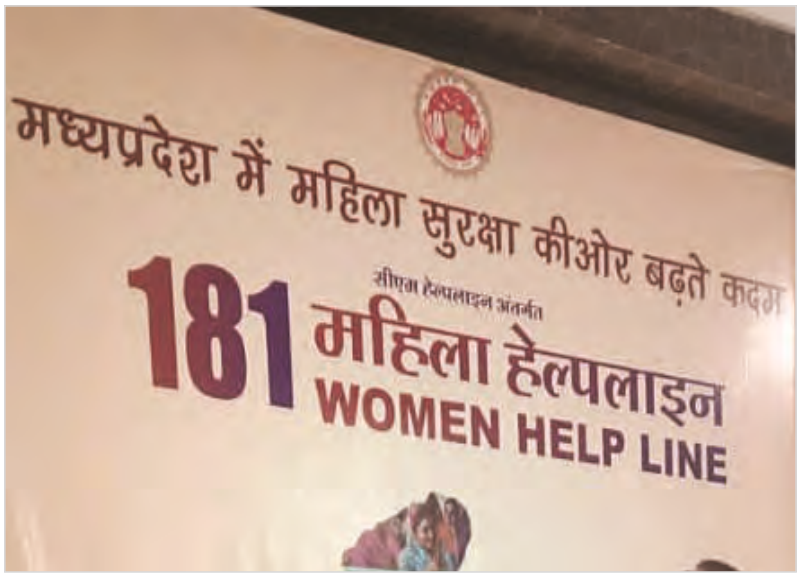

सेफ सिटी कार्यक्रम

प्रदेश में सेफ सिटी कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से छः शहरों – भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर एवं छिंदवाड़ा में संचालित है। यह एक बहुआयामी कार्यक्रम है, जिसमें प्रशासकीय विभाग, नागरिक सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय समुदाय, शौर्या दल, मोहल्ला समिति, युवा आदि शामिल हैं।

उद्देश्य

- बालिकाओं व महिलाओं को शहर में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना ताकि वो सभी प्रकार की हिंसा के भय से मुक्त होकर जीवन जी सकें।
- लडकियों व महिलाओं के प्रति सम्मान जनक नजरिये व व्यवहार को बढ़ावा देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना।

कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियां

- जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन।
- रिसोर्स पर्सन का चिंहाकन।
- अधिक अपराध वाले क्षेत्रों का बेसलाईन सर्वे और हॉटस्पाट के रूप में चिन्हांकन।
- सार्वजनिक परिवहन संसाधनों में महिला सुरक्षा के लिये सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगवाने की कार्यवाही करना।
- सेफसिटी ऑडिट व सेफ्टी संवाद।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिसोर्स केन्द्रों की स्थापना।
- प्रचार–प्रसार।

वर्ष 2021–2022 में की गई कार्यवाही

- प्रदेश के छः शहरों में अधिक महिला अपराध वाले 409 हॉट स्पाट का चिन्हांकन कर वहाँ सघन पुलिस गश्ती कर अपराध की रोकथाम के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।
- चयनित शहरों में जेंडर संवेदीकरण के लिये बस कंडक्टर व ड्रायवर का उन्मुखीकरण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 में योजना अंतर्गत राशि रुपये 1.74 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया।

राज्य स्तर पर राज्य व जिला स्तर के नोडल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, सुरक्षा ऑडिट पर उन्मुखीकरण यू. एन. वीमेन के सहयोग किया गया। कार्यक्रम के मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण व दक्षता संवर्द्धन विभाग एवं यू.एन. वीमेन के सहयोग से जबलपुर में किया गया।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न
(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम अन्तर्गत समस्त नियोक्ता (शासकीय/अशासकीय) अथवा कार्य स्थल के प्रभारी (सार्वजनिक/निजी/गैर सरकारी) का कर्तव्य है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम करें तथा इस बारे में सभी अपेक्षित कदम उठा कर यौन उत्पीड़न के कृत्यों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें।

समस्त जिलो में अधिनियम अंतर्गत स्थानीय समिति का गठन किया गया है। अधिनियम 2013 की धारा 5 अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 20.01.2014 द्वारा समस्त जिलों के अपर कलेक्टर (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित किया है। संचालनालय में इस वर्ष कुल 06 शिकायत प्राप्त हुई हैं।

भारत सरकार की कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम अंतर्गत ऑन लाईन पोर्टल – www.shebox.nic.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अशासकीय संस्था के माध्यम से शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों हेतु मई एवं सितम्बर माह में ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किये गये है।

मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली के सहयोग से प्रदेश में राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1956 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर–सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना है। बोर्ड अंतर्गत वर्तमान में राज्य में कुल 37 परिवार परामर्श केन्द्र (32 विकेन्द्रीकृत व 05 केन्द्रीकृत) स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित है। जिनके माध्यम से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को परामर्शी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

कार्यक्रम संचालन पर होने वाले व्यय की शत प्रतिशत राशि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वहन की जाती है तथा स्थापना पर होने वाले व्यय को केन्द्र व राज्य द्वारा आधा–आधा वहन किया जाता है।

विभाग में बोर्ड मुख्यालय एवं परियोजनाओं से सेवानिवृत्त कार्यरत् कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेच्यूटी से संबंधित 25 से अधिक कोर्ट केस लंबित थे। माननीय न्यायालय एंव मंत्रि–परिषद में हुए निर्णय अनुसार बोर्ड मुख्यालय एवं परियोजनाओं से सेवा निवृत्त कार्यरत् कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु बोर्ड को रू. 6,36,04,000 की राशि प्रदाय की गई।

कामकाजी महिला वसति गृह योजना

माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 19.5. 2015 को आयोजित महिला पंचायत में जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में कामकाजी महिला वसतिगृह भवनों के निर्माण की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के पालन में

शहरी/ग्रामीण कामकाजी महिलाओं को सुविधायुक्त, सुरक्षित आवास प्रदान करने हेतु भारत सरकार के सहयोग से महिला वसति गृह योजना लागू की गई। कामकाजी महिलाओं की 18 साल तक की बालिका एवं 5 साल तक के बालक भी हॉस्टल में अपने माता के साथ रह सकते हैं।

वर्तमान में भोपाल में न्यू मॉर्केट के समीप 100 महिलाओं की क्षमता वाला स्वयंसिद्धा महिला वसति गृह संचालित किया जा रहा है तथा इंदौर जिले में भी 50 महिलाओं की क्षमता वाला वसति गृह के.ई.एच. कंपाउड, होटल श्रीमाया के पास संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इंदौर में ही 100 महिलाओं की क्षमता वाला एक महिला वसति गृह निर्माणाधीन है। जिसका लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। जिला ग्वालियर में 100 महिलाओं की क्षमताओं वाले वसति गृह का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

यह केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें निर्माण पर होने वाले व्यय का भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन करना होता है।

राष्ट्रीय झूलाघर योजना

भारत सरकार, के निर्देशानुसार दिनांक 01.01. 2017 से राष्ट्रीय झूलाघर योजना का संचालन मध्यप्रदेश शासन द्वारा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। योजना का लक्ष्य समूह 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के कामकाजी महिलाओं के बच्चे है। योजना का उद्देश्य निम्नानुसार हैः—

- कामकाजी महिलाओं के बच्चों (6माह से 6 वर्ष) के लिए दिवस देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना।
- बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करना।
- बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास (समस्त विकास) को बढ़ावा देना।

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार योजना का क्रियान्वयन 60:30:10 केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं अशासकीय संस्था के अनुपात में है।

प्रति झूलाघर अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार हैः—

- प्रति झूलाघर प्रतिवर्ष प्रावधानित आवर्ती व्यय — 1,52,600/—
- भारत सरकार की अनुदान राशि (60 प्रतिशत) — 91,560/—
- राज्य सरकार की अनुदान राशि (30 प्रतिशत) — 45,780/—
- अशासकीय संस्था का अंशदान (10 प्रतिशत) — 15,260/—

विगत वर्ष में कोविड 19 के कारण योजना का क्रियान्वयन प्रभावित रहा है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 में प्रदेश के पुलिस मुख्यालय पर नवीन झूलाघर पुलिस विभाग के सहयोग से प्रारम्भ किया गया है। साथ ही आवश्यकतानुसार जिलों से प्राप्त नवीन झूलाघरों के प्रस्तावों के लिये 6 जिलों से 8 अशासकीय संस्थाओं के 15 झूलाघरों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

विभिन्न तरह की विपत्तिग्रस्त महिलायें जैसे– एसिड अटैक विक्टिम, जेल से रिहा महिलायें, बलात्कार से पीड़ित महिला अथवा बालिका, अग्नि पीड़िता, दुर्व्यापार से बचाई गयी महिला, बाल विवाह पीड़िता अथवा बालिका, आश्रय गृहों में निवासरत बालिकाएं अथवा महिलाएं आदि श्रेणी की महिलाओं को कई बार पारिवारिक सहायता नही मिल पाती है, जिससे उनके जीवनयापन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। उक्त श्रेणी की महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना'' प्रदेश में सितम्बर, 2013 से प्रारंभ की गई है।

उद्देश्य

- आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना।
- पीड़ित महिला को पुनर्स्थापित करना।
- महिलाओं को स्व–रोजगार के लिये प्रेरित करना।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
- महिला का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक स्तर बढ़ाना।
- विपत्तिग्रस्त/पीड़ित/असहाय/निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित करना।

पात्रता

- हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीड़ित (Victim) की श्रेणी में आती हो।
- लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका/उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता हो। परन्तु दहेज पीड़ित/अग्नि पीड़ित, बलात्कार एवं ऐसिड अटैक विक्टिम, जेल से रिहा महिला, नारी निकेतन, शॉर्ट स्टे होम, शासकीय/विभागीय मान्यता प्राप्त बालिका गृह, आश्रय गृह, अनुरक्षण आदि में रहने वाली महिलाओं को इससे छूट रहेगी।
- पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो।

- सामान्य वर्ग महिला की उम्र 45 वर्ष से कम हो। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष।
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी।
- बाल विवाह पीड़िता।

प्रशिक्षण

फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरपी, आया/दाई/ वार्ड परिचर, ब्यूटीशियन, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंग/बेकिंग), आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक कोर्स, हॉस्पिटेलिटी, होटल/ईवेन्ट मेनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, बी.एड/डी.एड (सिर्फ शासकीय संस्थान से), अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन एवं शिष्यवृत्ति आदि का भुगतान विभाग द्वारा वहन किया जाता है एवं प्रशिक्षण अवधि में 500/– प्रति हितग्राही/प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देय होगी। कम पढ़ी–लिखी/साक्षर/अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 276 महिलाओं/बालिकाओं को योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया था। वर्ष 2021–22 में फरवरी 2022 तक कुल 552 हितग्राहियों का चयन योजना के तहत् प्रशिक्षण हेतु किया गया है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु महिला कल्याण कोष के अंतर्गत राशि रूपये 72,74,400/– का प्रावधान किया गया है।

छह महिलाओं को ब्यूटीशियन कोर्स कराकर प्रमाण पत्र व चेक दिए, अब बनेंगी आत्मनिर्भर

हरदा (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना के तहत घरेलू हिंसा से त्रस्त विपदा ग्रस्त महिलाओं को रोजगारमूलक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया। इसके तहत हरदा जिले में छह महिलाओं को ब्यूटीशियन कोर्स संबंधी ट्रेनिंग दी गई। सोमवार को इन महिलाओं की ट्रेनिंग पूरी होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राचार्य वीके तिवारी ने सहायक संचालक डॉ. राहुल दुबे की उपस्थिति में महिलाओं को प्रमाण-पत्र व शिष्यवृत्ति के चेक वितरित किए। इस दौरान सिनियर कंसल्टेंट सोहन तिवारी, ए. अली व आशीष विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। सोमवार को महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र व शिष्यवृत्ति के चेक प्रदान किए गए। इसमें दुर्गा मालवीय, द्रोपदी बाई, लीला यादव, दुर्गा झुरमाले, सरोज बाई व अरशी फातिमा शामिल हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई थी। उन्होंने बताया कि जब हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उनके परिवार वाले भी मदद नहीं करते तब ये योजना इन महिलाओं को बुरे वक्त में सहारा देती है।

प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण-पत्र और शिष्यवृत्ति के चेक वितरित किए गए। ● नवदुनिया

वित्तीय वर्ष 2021–22 की प्रगति (फरवरी 22 तक)

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत ट्रेडवार संख्या 2021–22		
क्र.	ट्रेड का नाम	हितग्राही संख्या
1	कटिंग सिलाई, फैशन डिजाईनिंग, वस्त्र निर्माण, गारमेंट बनाना एवं अन्य संबंधित	324
2	आई.टी.आई. कोर्स/पॉलिटेक्निक ट्रेड	19
3	ब्यूटीशियन /कास्मेटोलॉजी	98
4	नर्सिंग, जी.एन एम कोर्स, ए.एन.एम.	7
5	ड्रेसर एवं असिस्टेन्ट/वार्ड परिचर/ आपरेशन थिएटर असिस्टेंट/डेरी फारमिंग एण्ड काम्पोस्ट मेकिंग	14
6	पेपर एन्वेलप, कपड़ों के बेग, जूट वर्क	18
7	शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंग/बेकिंग)	26
8	डी.एड./बी.एड.	2
9	कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, डाटा एन्ट्री आपरेटर	14
10	बस कन्डक्टर, क्राफ्ट मेकिंग, सिक्युरिटी गार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, अन्य	30
	कुल योग	552

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत श्रेणीवार संख्या वर्ष 2021–22		
क्र.	विपत्तिग्रस्त महिलाओं की लक्ष्य समूह की श्रेणी	हितग्राही संख्या
1	विपत्तिग्रस्त महिला/ यौन उत्पीड़िता	28
2	जेल रिहा/जेल में बंद	78
3	बलात्कार पीड़िता	2
4	विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता	210
5	दहेज पीड़िता	27
6	शासकीय गृह/अशासकीय गृह में निवासरत	82
7	घरेलू हिंसा पीड़िता	91
8	अन्य प्रकार –वन स्टाप सेंटर से प्राप्त	34
	कुल योग	552

महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु बैंक ऋण की उपलब्धता

अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 के अवसर पर महिलाओं को बैंकों से होने वाली प्रक्रियागत परेशानी को ध्यान में रखते हुए धनाभाव को दूर करने हेतु महिलाओं को उपभोक्ता अथवा उद्यमी के तौर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु विशेष अभियान पंजाब नेशनल बैंक/सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में प्रदेश के 52 जिलों हेतु कुल 20,720 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का गठन वर्ष 1988 में राज्य शासन द्वारा प्रदेश की महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के उदेश्य से किया गया था।

निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

- प्रदेश की महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना
- प्रदेश की महिलाओं/महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के लिए विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना
- महिलाओं का कौशल संवर्धन करना एवं तकनीकी तथा विपणन प्रशिक्षण प्रदान करना
- महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से जोड़ना
- महिलाओं को वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करना

निगम द्वारा विश्व बैंक, आयफेड तथा विभिन्न विभागों से समन्वय कर कई कार्यक्रम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु संचालित किये गए हैं। निगम द्वारा आयफेड प्रवर्तित तेजस्विनी परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 6 जिलों की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नए आयाम स्थापित किये हैं। तेजस्विनी कार्यक्रम अंतर्गत कुल 73 माइक्रो इंटरप्राइजेज भी स्थापित किए गए हैं जिनका महिला महासंघों द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। तेजस्विनी कार्यक्रम के अतिरिक्त निगम द्वारा प्रदेश स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रम यथा आदिवासी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम, आदिवासी महिला उद्यमी सशक्तिकरण कार्यक्रम, कंजर्वेशन ऑफ़ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कार्यक्रम, ममत्व मेला, संवेदना आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

निगम की योजनाएं

आदिवासी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण योजना : मध्यप्रदेश शासन की इस योजना मे महिला वित्त एवं विकास निगम के द्वारा प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति की महिलाओ को आर्थिक रुप से सशक्त करने हेतु विभिन्न गतिविधियो का संचालन किया जा रहा है। म.प्र. महिला वित्त विकास निगम के द्वारा महिलाओ को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिये रणनीति का निर्धारण कर अजीविका गतिविधि से जोड़ा जा रहा है। योजनान्तर्गत जिला बालाघाट के क्षेत्र गढ़ी मे 300 आदिवासी महिलाओं के साथ अलसी क्रय–विक्रय हेतु रोस्टेड अलसी यूनिट की स्थापना की गई है। महिलाओं के द्वारा तैयार रोस्टेड अलसी को मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग

के सभी ऑउटलेट पर रखा गया है एवं खुले बाजार मे विक्रय किया जा रहा है। संघ को उक्त यूनिट से प्रति किलो राशि रुपये 40 का लाभ हो रहा है। इसके साथ ही जिला मण्डला के विकास खण्ड निवास में 1470 आदिवासी महिलाओ के साथ राई एवं रामतिल की आधुनिक पद्धति से कृषि विपणन एवं आइल एक्सपेलर यूनिट की स्थापना की गई है। संघ के द्वारा एकत्रित राई रामतिल का तेल निकाला जाकर विक्रय किया जा रहा है। संघ के द्वारा मध्यान्ह भोजन स्थानीय बाजार मे तेल का विक्रय किया जा रहा है। संघ को प्रति लीटर राशि रुपये 10/– एवं बची हुई खली को विक्रय करने से राशि रुपये 18/– प्रति किलो आय प्राप्त होती है।

कन्जरवेशन आफ ट्रेडिशनल एग्रिकल्चर कार्यक्रम : आदिवासी एवं जनजातिय कार्य विभाग के समन्वय से निगम द्वारा डिण्डौरी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पारम्परिक एवं ऋषि पद्धति से कृषि किये जाने के लिये 4500 आदिवासी पी.वी.टी.जी. महिला कृषकों के साथ Conservation of Traditional Agriculture कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त कार्य तेजस्विनी कार्यक्रम के गठित महिला महासंघों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है जिससे संघ का 3 वर्षो तक हेण्ड होल्डींग हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की कृषि क्षमता वर्धन करते हुये, उत्पाद में बढ़ोत्तरी करना, कार्यक्रम क्षेत्र में जैविक खाद का पूर्णतः उपयोग, कृषि प्रसंस्करण, महिला फ्रेण्डली उपकरण का प्रदाय एवं उत्पादों के, मार्केट लिंकेज करते हुये कृषि को आजीविका का स्थायी माध्यम बनाना है। उक्त कार्यक्रम में मिट्टी के स्वास्थ्य सुधार, कम्पोस्टिंग, बायोगैस स्लैरी आदि कार्य किया गया। साथ ही जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्प्रिंकलर ड्रीप के माध्यम से पानी का उचित उपयोग आदि के लिये भी कार्य किया गया है। कार्यक्रम अंतगर्त क्षेत्र में अनाज के अतिरिक्त सब्जी व फल उत्पादन के लिये प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान में 3604 बैगा महिलाओं के साथ 9504 एकड़ में 39305 क्विन्टल कोदो का उत्पादन एवं 8598 एकड़ में 35539 क्विन्टल कुटकी का उत्पादन किया जा रहा है। कोदो–कुटकी उत्पादन में प्रति एकड़ (बेसलाईन) 2.48 क्विन्टल के स्थान पर 3.90 क्विंटल का उत्पादन किया जा रहा है। कोदो कुटकी उत्पादन का क्रय महिला कृषकों से तेजस्विनी संघों द्वारा बाजार दर से कोदो रुपये 2/– एवं कुटकी रुपये 5/– प्रति क्विन्टल अधिक दर पर क्रय किया जा रहा है।

गणवेश प्रदाय कार्यक्रम : शासकीय विद्यालयों में अध्यनरत छात्र/छात्राओं (कक्षा 01 से 06 तक) सत्र 2021–22 में स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय किया गया। कार्यक्रम अर्न्तगत 7 जिलों में मण्डला, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, डिण्डौरी, पन्ना एवं छतरपुर में 641 स्व सहायता समूहो के माध्यम से 2,66,190 विद्याार्थियों के गणवेश का सिलाई कर प्रदाय की गई है। यह कार्यक्रम समूह से जुड़ी महिलाओं एवं राज्य को आत्म निर्भर बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है।

संवेदना कार्यक्रम : वैश्यावृत्ति प्रथा/कुरीति में संलग्न बेड़िया, बाछड़ा, कंजर एव सॉसी जाति की महिलाओं के परिवारो को जागरुक करते हुए उन्हें देह

व्यापार में जाने से रोकने, उनके व बच्चो के पुनर्वास, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से संवेदना कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। कार्यक्रम 10 जिलों में संचालित है। कार्यक्रम में स्व सहायता समूह गठित कर महिलाओं को अन्य आजीविका गतिविधियों से जोड़ते हुए उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। जाति के पुरुषों की मानसिकता मे बदलाव लाने और बच्चो को चेन्ज एजेंट के रुप में तैयार किया जा रहा है।

कार्यक्रम अर्न्तगत 63 महिला स्व सहायता समूहो क गठन किया गया है। 47 बालिकाओं को सशक्त वाहिनी योजना अर्न्तगत प्रशिक्षण दिलवाया गया। 03 परिवारो द्वारा व्यवसाय आरंभ किया गया है। 25 बालिकाओं को सत्यशोधन आश्रम में शिक्षा हेतु दाखिला कराया गया है। 3 बालिकाओं ने इस कुरीति से मना कर विवाह किया और समूह से जुड़कर कार्य कर रही है।

आदिवासी क्षेत्र में महिला उद्यमी कार्यक्रम

महिला वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आदिवासी क्षेत्रो में महिला उद्यम स्थापित करने हेतु क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आदिवासी महिला उद्यम कार्यक्रम प्रारंम्भ किया गया है। निगम के द्वारा 5 जिलो के लिये तेजस्विनी महिला संघों का चयन कर उनके साथ कार्य अनुबन्ध संम्पादित कर कार्य किया जा रहा है।

निगम के द्वारा तेजस्विनी संघों के माध्मम से संचालित विभिन्न इकाईयां

कोदो कुटकी प्रसंस्करण इकाई : डिण्डोरी जिले में 2 संघों में कोदो–कुटकी प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से प्रति संघ को लगभग को 1.80 लाख की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है।

कोदो न्यूट्री बर्फी : जिला डिण्डोरी में 5 तेजस्विनी महिला संघों के द्वारा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से आंगनवाडी केन्द्रों में प्रतिमाह कोदो बर्फी, नमकिन सप्लाई की जा रही है। उक्त से प्रति संघ को लगभग 1.30 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है।

कोदो न्यूट्री बेकरी : ग्राम स्तर पर पौष्टिक खाद्यन्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला डिण्डोरी में 3 संघों के द्वारा एवं मण्डला में 1 संघ के द्वारा कोदो–कुटकी न्यूट्री बेकरी का क्रियान्वयन किया गया है। बेकरी में वर्तमान में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोदो, कुटकी, मक्का, महुआ, नारियल, मुंगफली आदि के कुक्कीज एवं कोदो बन, ब्रेड बनाई जा रही है। कुक्कीज आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित की जा रही है व खुले बाजार में भी विक्रय किया जा रहा है। उक्त यूनिट से प्रति संघ को लगभग 1.25 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है।

मसाला प्रसंस्करण यूनिट : तेजस्विनी महिला महासंघों के माध्यम से जिला डिण्डोरी के 9 महिला महासंघों के द्वारा मसाला यूनिट स्थापित की गई है। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च पीसकर पैकिंग की जाती है। इन संघों की महिलाओं के द्वारा आदिवासी छात्रावास, मध्यान्ह भोजन, पी.डी.एस की दुकान व खुले बाजार में मसाला विक्रय किया जाता है।

गौंडी पेन्टिंग – जिला डिण्डोरी : ग्राम पाटनगढ़ में गौंडी पेन्टिग का कार्य कागज पर परंपरागत रूप से किया जाता रहा है। निगम के द्वारा नवाचार के रूप में फेब्रिक पर गौंडी पेन्टिग बनाएं जाने का सफल कार्य किया है। मध्यप्रदेश ट्रॉयफेड के माध्यम से तैयार गौंडी पेन्टिग के दुपट्टे जिलों व अन्य राज्यों में विक्रय किए जा रहें है। महिलाओं के द्वारा गौंडी पेन्टिंग के टी–शर्ट, कुर्ता, साडी, दुपट्टे, पर्दे, कुशन कव्हर, स्कार्फ आदि तैयार किए जा रहें है।

लूम : जिला डिण्डोरी के गोरखपुर तेजस्विनी संघ के द्वारा लूम की स्थापना की गई है। लूम में तैयार वस्त्रों का विक्रय खुले बाजार में किया जा रहा है।

सेनेटरी नैपकिन : तेजस्विनी नारी विकास महिला संघ डिण्डौरी के द्वारा सेनेटरी नैपकिन यूनिट का संचालन किया जा रहा है। यूनिट में तैयार सेनेटरी नैपकिन को आंगनवाड़ी केन्द्रों में उदिता कार्यक्रम के अंतर्गत सप्लाई किया जा रहा है एवं खुले बाजार में भी विक्रय किया जा रहा है।

महिला द्वारा निर्मित एवं उत्पादित सामग्री का विपणन : महिला उद्यमी एवं महिला स्वसहायता समूहों के द्वारा निर्मित व उत्पादित सामग्रियों के विक्रय के लिए निगम के द्वारा अन्दाई एवं भारती ब्राण्ड का पंजीयन किया गया है और www.andai.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विक्रय किया जा रहा है।

निगम का पता

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

खण्ड दो, चतुर्थ तल ,पर्यावास भवन, अरेरा हिल, भोपाल (मध्यप्रदेश) 462027

फोन : 0755 2769622 फैक्स : 0755 2577122

ई–मेल – mpmvvn24feb@gmail.com

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन, 23 मार्च 1998 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत् किया गया।

महिला सशक्तिकरण में आयोग के दायित्व

महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, उनके प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने, उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है।

गरीब महिलाओं को कानूनी सलाह देने और ऐसी महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिये राज्य के गैर सरकारी संगठनों को सहायता करना प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना।

राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है। यह आयोग एक निकाय है, जिसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त है। इस आयोग को सतर्क जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक के अधिकार प्राप्त है। आयोग ऐसा अधिकारपूर्ण निकाय है जिसकी सिफारिशों को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है।

आयोग इन मामलों में शिकायत प्राप्त करेगा

- महिलाओं पर अत्याचार व महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर।
- महिलाओ को सुरक्षा देने हेतु निर्धारित कानूनों के क्रियान्वय न होने पर।
- अभित्यक्त, निराश्रित तथा वेश्यावृत्ति करने के लिये मजबूर की गई महिलाओं का पुनर्वास।
- बालिका भ्रूण हत्या।

आयोग को प्राप्त सिविल अदालत की शक्तियां

- किसी व्यक्ति को सम्मन जारी किया जाकर उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना।
- किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना।
- शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्राहय करना।
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या प्रति की अध्यापेक्षा करना।

- साक्षियों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना।

प्रमुख कार्यक्षेत्र

- वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं और उनके बच्चों के लिये पुनर्वास संस्तुतियां।
- अस्पतालों, मानसिक चिकित्सा देखरेख गृहों, जेलों, रिमांड होम, संरक्षण गृहों का निरीक्षण
- महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समर्थन।
- विशेषज्ञ समितियों का गठन।

कार्य निष्पादन, भ्रमण एवं निरीक्षण

- विभिन्न जिलों में महिला संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिये मौके पर जाकर निरीक्षण/जाँच पड़ताल।
- प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों की समस्याओं का अध्ययन।
- प्रदेश के अस्पतालों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन और सुधार हेतु परामर्श एवं प्रकाशन।
- मानसिक देख–रेख गृहों में महिलाओं की स्थिति का निरीक्षण।
- विपदाग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिये पहल।
- विभिन्न स्तर पर अधिकारियों से चर्चा, विचार–विमर्श।

वर्ष 2021–2022 में गतिविधियां

- राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती मीता राजीव लोचन द्वारा 28 सितम्बर 2021 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का भ्रमण किया गया।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती मीता राजीव लोचन द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2021 अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई।
- 11 अक्टूबर 2021 को शासकीय सरोजिनी नायडू स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल में बालिका दिवस के अवसर पर डालसा के साथ जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती श्यामला एस कुंदर द्वारा 27 दिसंबर 2021 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग कार्यालय में भ्रमण कर कार्यालय की गतिविधियों का जायजा लिया गया।

आयोग में प्राप्त पंजीबद्ध/नस्तीबद्ध प्रकरणों की जानकारी
वर्ष 2021–2022

क्रं.	विषय	पंजीबद्ध
1	घरेलू अत्याचार	157
2	दहेज प्रताड़ना	246
3	पारिवारिक विवाद	145
4	बलात्कार	91
5	बलात्कार का प्रयास	27
6	अपहरण	65
7	दहेज हत्या	13
8	हत्या	54
9	आत्महत्या	13
10	महिला प्रताड़ना/महिला देह व्यापार/दैहिक शोषण	427
11	कार्यस्थल प्रताड़ना/मानसिक प्रताड़ना/यौन शोषण	159
12	संपत्ति विवाद	123
13	भरण पोषण	11
14	बच्चों से संबंधित	10
15	साइबर अपराध	17
16	विभागीय प्रकरण	67
17	पुरूष प्रधान	35
18	हिंसा	15
19	मारपीट	193
20	अन्य	417
	योग	**2286**

शिकायतें कैसे प्राप्त की जाएगी

शिकायतें राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भोपाल में अथवा उनसे व्यक्तिगत भेंट कर दी जा सकती है। आयोग के भोपाल स्थित कार्यालय में शिकायत डाक, फैक्स, तार, ई–मेल अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत की जा सकती है।

कार्यालय का पता

35, राजीव गांधी भवन, प्रथमतल,
श्यामला हिल्स, भोपाल, दूरभाष 0755 2661813,
फैक्स 0755 2661806, टोल फ्री नं. 18002336112
Website : www.mpswc.nic.in,
E-Mail : swc-mp@nic.in

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

आंगनवाड़ी सेवाएं

वर्तमान में मध्यप्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। इन बाल विकास परियोजनाओं में कुल 84,465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। क्षेत्रवार परियोजना एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	क्षेत्रवार परियोजना का प्रकार	परियोजना संख्या	आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या	मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या
1	ग्रामीण	278	51558	8430
2	आदिवासी	102	24004	4013
3	शहरी	73	8903	227
	कुल	453	84465	12670

आंगनवाड़ी सेवाएं अंतर्गत हितग्राही

क्र.	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या (लाख में)
1	2017–18	120.00
2	2018–19	124.00
3	2019–20	139.00
4	2020–21	92.47
5	2021–22	90.05

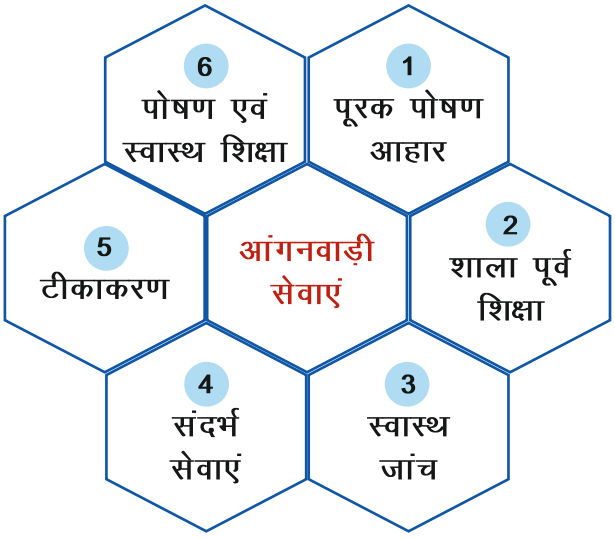

आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु दैनिक समय सारणी

समय	गतिविधि
प्रातः 9 बजे	आंगनवाड़ी खोलना तथा बच्चों का आगमन, निर्मल समय – बच्चों की हाथों की साफ–सफाई का अवलोकन तथा साफ–सफाई।
9.30 –10.00 बजे	सामूहिक गतिविधियों का आयोजन
10.00 –10.30 बजे	नाश्ता
10.30 –11.00 बजे	बच्चों द्वारा स्वतंत्र खेल
11.00 –11.30 बजे	छोटे समूह की गतिविधियों का आयोजन
11.30 –12.00 बजे	भाषा एवं साक्षरता पूर्व कौशल गतिविधियों का आयोजन
12.00 –12.30 बजे	रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन
12.30 –1.00 बजे	बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन
1.00 –2.00 बजे	भोजन एवं बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना
2.00 –3.30 बजे	थर्ड मील – रोजाना पोषण परामर्श – नियत दिवस समुदाय आधारित गतिविधियां (मंगल दिवस) – नियत दिवस वृद्धि निगरानी – नियत दिवस प्रति माह किशोरी बालिका योजनांतर्गत परामर्श –नियत दिवस गृहभेंट – नियत दिवस
3.30–4.00 बजे	रिकार्ड संधारण

नोटः– कोविड–19 संक्रमण में वृद्धि के दृष्टिगत शासन के पत्र दिनांक 30.11.2021 द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन का समय प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। किन्तु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका द्वारा शेष गतिविधियां यथा पोषण परामर्श, गृहभेंट इत्यादि कार्य पूर्ववत् किया जावेगा।

किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए देय किराया

क्र.	परियोजना का प्रकार	आंगनवाड़ी केन्द्रों का मासिक किराया
1	ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र	अधिकतम राशि रूपये 1000/– प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र
2	शहरी क्षेत्र (जिन शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 50,000 या अधिक हो)	अधिकतम राशि रूपये 4000/– प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र

अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित समेकित बाल विकास परियोजनाएं

क्र.	अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित परियोजना	संस्था का नाम
1	समेकित बाल विकास परियोजना, गैरतगंज, जिला रायसेन	सेवा भारती, मध्यभारत, भोपाल

"Adopt an Anganwadi" कार्यक्रम

"Adopt An Aanganwadi" कार्यक्रम की अवधारणा मुख्यमंत्री कॉनक्लेव बनारस में चर्चा के दौरान उद्भूत हुई, इस पर मध्यप्रदेश में व्यापक एवं गंभीरतापूर्वक कार्य प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुदृढीकृत कर बालरूचि अनुरूप बनाने "Adopt an Anganwadi" कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 28/12/2021 को प्रारम्भ किया गया है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "शुद्ध पर्यावरण, खुशहाल परिवेश एवं स्वस्थ बच्चा है। इस परिकल्पना पर आधारित इस अभियान में प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि, जनसमान्य, सामाजिक संगठन एवं सहयोगी संस्थाओं से सहयोग का आव्हान किया गया है।

"Adopt an Aanganwadi" के मध्यप्रदेश मॉडल में तीन उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है:–

1. आंगनवाड़ी केन्द्रों का अधोसंरचना विकास।
2. आंगनवाड़ी के हितग्राही बच्चों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति।
3. स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में आवश्यक सहयोग।

कार्यक्रम अन्तर्गत इच्छुक सहयोगकर्ता व्यक्ति अथवा संस्था एक अथवा अनेक आंगनवाड़ी केन्द्रों को Adopt कर इन केन्द्रों के आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण अथवा सेवाओं का उन्नयन में आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकता है।

1. कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोगकर्ताओं का पंजीयन:– विभागीय पोर्टल पर "Adopt an Anganwadi" कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोगी के रूप में पंजीयन हेतु लिंक विकसित की गई है। साथ ही इच्छुक सहयोगकर्ता के लिये मिस्ड काल हेतु मोबाईल नम्बर 8989622333 जारी किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी सहयोगकर्ता अपने रूची के क्षेत्र में आंगनवाडी केन्द्र हेतु सहयोग के लिये मिस्ड कॉल कर पंजीयन लिंक (weblink-https//mpwcdmis.gov.in/AwcadoptionDetails.aspx) प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम के सतत क्रियान्वन एवं सहयोगकर्ताओं द्वारा सहयोग दी जा रही सेवाओं से नियमित अवगत होने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मोबाईल एप्लिकेशन तैयार कराया गया है।
2. **आंगनवाड़ी केन्द्र की आवश्यक सेवाओं के आंकलन की मैपिंग:**– विभाग द्वारा इस हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित कर आंगनवाड़ी केन्द्रों की मैपिंग कर प्रोफाईल तैयार की गई है:–
   1. आंगनवाड़ी केन्द्र जहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध है
   2. आंगनवाड़ी केन्द्र जहाँ अल्प सुविधाओं की आवश्यकता है
   3. आंगनवाड़ी केन्द्र जिन्हें अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है

   प्रत्येक श्रेणी में होने वाले प्रस्तावित कार्य का अनुमानित व्यय का आंकलन भी तैयार किया गया है ताकि अभिरूचिकर्ताओं/सहयोगकर्ताओं को उनके सहयोग प्रदाय में होने वाले व्यय का अनुमान प्राप्त हो सके एवं वे स्वेच्छा से Awc की आवश्यकताओं/सुविधा का चयन कर सके।
3. माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा व्यापक जन–सहभागिता के लिये प्रदेश समस्त माननीय सांसदगणों, माननीय मंत्रीगणों एवं माननीय विधायकगणों को अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित किया गया है।
4. कार्यक्रम में सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा लॉयन्स क्लब, रोटरी क्लब, रेडक्रॉस, एन.एस.एस., जैसी संस्थाओं को भी संबद्ध किया जाकर आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के सर्वांगींण विकास हेतु सहयोग लिये जाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

5. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा "Adopt An Aanganwadi" कार्यक्रम अन्तर्गत भोपाल जिले की बाणगंगा बाल विकास परियोजना अन्तर्गत अम्बेडकर नगर सेक्टर के ''सुनहरी बाग'' आंगनवाड़ी केन्द्र तथा सीहोर जिले की बुदनी बाल विकास परियोजना अन्तर्गत रेहटी सेक्टर के ''मंथार'' आंगनवाड़ी केन्द्र को सहयोग देने हेतु गोद लिया गया है।

6. माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जिन सहयोगकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर पंजीयन किया गया है, उनसे तत्काल सम्पर्क कर उनकी रूचि अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र का भ्रमण कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाये। यह कार्य तत्परता से किया जा रहा है।

7. यह कार्यक्रम आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर प्रदाय की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं ''सुपोषित मध्यप्रदेश'' की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गोद लिया गया आंगनवाड़ी केन्द्र ''मंथार'',
सेक्टर रेहटी, बाल विकास परियोजना बुदनी, जिला–सीहोर

8. कार्यक्रम अन्तर्गत 94 हजार 713 सहयोगियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेवाओं में सहयोग हेतु पंजीयन किया गया।

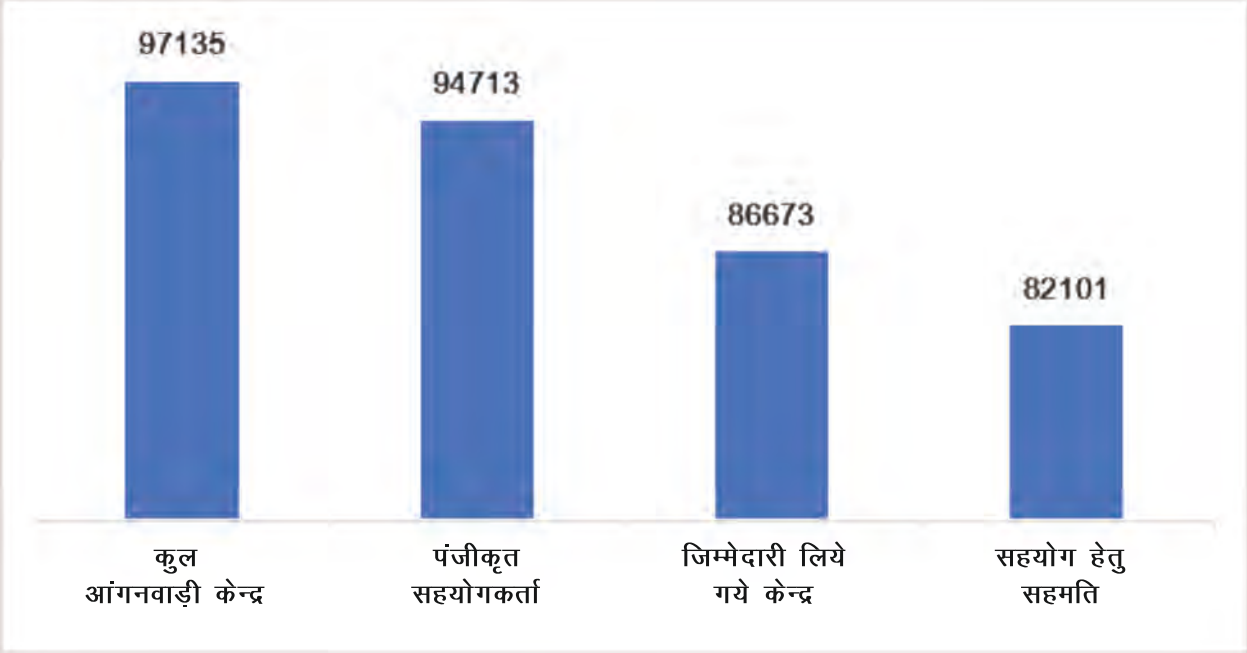

9. कार्यक्रम अन्तर्गत पंजीकृत सहयोगियों द्वारा 13402 आंगनवाड़ी केन्द्रों के अधोसंरचना विकास, 36512 आंगनवाड़ी के हितग्राही बच्चों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति एवं 8694 स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु अभिरूचि प्रकट की गई है।

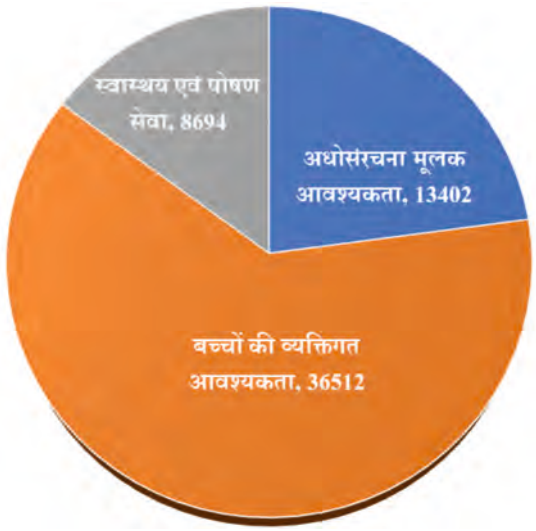

पोषण आहार

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा ऑगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, एवं गर्भवती / धात्री माताओं,11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं, अतिकम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान किया गया है:–

हितग्राही	1.4.2018 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रू. 8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12–15 ग्राम	500 कैलोरी
अतिकम वजन के बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रू. 12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20–25 ग्राम	800 कैलोरी
गर्भवती / धात्री माता	रू. 9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	18–20 ग्राम	600 कैलोरी
11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं,	रू. 9.50 प्रति बालिका प्रतिदिन	18–20 ग्राम	600 कैलोरी

(1) 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं को गुणवत्तापूर्ण टेकहोम राशन प्रदाय करने हेतु राज्यमंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 28 सितम्बर 2021 में एम.पी.एग्रो द्वारा संचालित व्यवस्था म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अन्तर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों के परिसंघों को टेकहोम राशन प्रदाय का कार्य दिया गया है। इन परिसंघों द्वारा देवास, धार, सागर, होशंगाबाद, मण्डला, रीवा एवं शिवपुरी जिले में संयंत्र स्थापित किए गए है। इन संयंत्रों द्वारा भोपाल संभाग को छोड़कर प्रदेश के समस्त जिलों में टेकहोम राशन का प्रदाय किया जा रहा है। भोपाल संभाग में एम.पी. एग्रो के बाड़ी संयत्र से प्रदाय किया जा रहा है। इस व्यवस्था से लगभग 3.16 लाख स्व सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा गया है। विभिन्न संयंत्रों के माध्यम से निम्नानुसार खाद्य सामग्री अलग–अलग दिवसों में दी जा रही है:–

क्र	खाद्यान्न का नाम	हितग्राही	प्रतिदिन की मात्रा	न्यूनतम प्रोटीन ग्राम	न्यूनतम कैलोरी
1	2	3	4	5	6
1	गेहूँ,सोया बफी (प्रिमिक्स)	गर्भवती / धात्री माताऐं	150 ग्राम	18.00	600.00
2	आटा बेसन लड्डू (प्रिमिक्स)	गर्भवती / धात्री माताऐं	150 ग्राम	18.00	600.00
3	खिचड़ी	गर्भवती / धात्री माताऐं	150 ग्राम	18.00	600.00
4	हलुआ (प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.00	500.00
5	बाल आहार (प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.00	500.00
6	खिचड़ी	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	12.00	500.00

(2) ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक निम्न मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान रखा गया हैं :–

सांझा चूल्हा व्यवस्था अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों, को प्रदाय किए जा रहे पूरक पोषण आहार में विविधता के लिए साप्ताहिक सांकेतिक मेनू

दिन	सुबह का नाश्ता (रैसिपी)	दोपहर का भोजन (रैसिपी)	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
सोमवार	मीठी लाप्सी	रोटी–सब्जी–दाल	12–15	500
मंगलवार	पौष्टिक खिचड़ी	खीर–पुड़ी–आलू मटर/आलू चने सब्जी		
बुधवार	मीठी लाप्सी	रोटी–सब्जी– दाल		
गुरूवार	नमकीन दलिया	वेज पुलाव–पकोड़े वाली कढ़ी		
शुक्रवार	उपमा	रोटी–सब्जी–दाल		
शनिवार	मीठी लाप्सी	रोटी–सब्जी–दाल/चावल सांभर		

प्रदेश के शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार का प्रदाय स्व सहायता समूह/महिला मण्डल के माध्यम से किए जाने का प्रावधान था। राज्य शासन द्वारा उक्त व्यवस्था में माह मई 2021 से परिवर्तन कर आंगनवाड़ी केन्द्रों/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को ताजे पके हुए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन,राज्य शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह एवं तेजस्विनी महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से की गई है। **वर्तमान में लगभग 1970 नवीन स्व सहायता समूहों की 17297 महिलाओं को जोडा गया है।**

शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को साझां चूल्हा कार्यक्रम के मीनू के अनुरूप ही पोषण आहार दिया जा रहा है।

(3) 06 माह से 06 वर्ष तक के आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के मीनू अनुसार तथा मंगलवार,गुरूवार एवं शनिवार को नाश्ता के मेनू अनुसार दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

(4) कोविड–19 की रोकथाम हेतु आंगनवाडी केन्द्र बन्द रहने की स्थिति में हितग्राहियों को रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार दिए जाने के निर्देश समस्त कलेक्टर्स को दिए गए थे। समस्त जिलों में उक्त निर्देशों के तहत् रेडी टू ईट का वितरण किया गया।

- भारत सरकार, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा गेहूँ आधारित पूरक पोषण आहार अंतर्गत बी.पी.एल दर पर गेहूँ/चावल का आवंटन त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराया जाता हैं। आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से प्राप्त उक्त खाद्यान्न का पुर्नआवंटन कर टेकहोम राशन प्रदायकर्ता एवं स्व सहायता समूहों को एन.आई.सी/म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के माध्यम से ऑनलाईन प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।

पूरक पोषण आहार अंतर्गत बजट प्रावधानः–

- आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में पोषण आहार मद अंतर्गत राशि रू. 1450.00 करोड तथा किशोरी बालिका योजनान्तर्गत राशि रू. 45.00 करोड का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में बच्चों की तंदुरूस्ती के लिये सुगंधित मीठे दूध का वितरण

बच्चों की तंदुरूस्ती के लिये मध्यप्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के लगभग 29.00 लाख बच्चों को सप्ताह में तीन दिन सुगन्धित मीठा दूध (स्वीटेन्ड और फ्लेवर्ड मिल्क) का वितरण किया जा रहा है। फ्लेवर्ड मिल्क को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से तरल रूप में तैयार कर हर बच्चे को 100 मि.ली. मात्रा में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) को दिया जा रहा है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 03 से 06 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के समन्वय से ई.सी.सी.ई. पाठ्यचर्या तैयार करने एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में शाला परिसर में लगने वाले लगभग 19000 पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किये जाने की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से की जा रही है।

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वित प्रयास द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक शालाओं में बच्चों का अंतरण सुनिश्चित करने एवं ई.सी.सी.ई. के सुदृढ़ीकरण के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में शाला पूर्व शिक्षा के सुचारू संचालन को मानकीकृत करने के लिये प्रदेश की शाला पूर्व शिक्षा नीति एवं नियामक दिशा निर्देश तैयार किये जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के नियमन के लिये विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा प्रदाय की गयी है।

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा विभाग के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा के संचालन के लिये 10 थीम्स आधारित पुस्तकें तैयार की गयीं हैं। इन थीम्स आधारित पुस्तकों की उपयोगिता जानने के लिये भोपाल, सागर एवं खरगौन जिलों में पायलेट प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है।

शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध एवं विकास की गतिविधियों के संचालन के लिये जवाहर बाल भवन भोपाल में (अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से) राज्य स्तरीय ई.सी.सी.ई. रिसोर्स सेंटर बनाये जाने का भी निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

राज्य स्तरीय रिसोर्स सेंटर में राष्ट्रीय ईसीसीई नीति 2013 के अनुसार स्थानीय भाषाओं तथा स्थानीय खेलों का शैक्षणिक हस्तक्षेप, देशज ज्ञान उत्पन्न करने, ईसीसीई कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों (Interventions) की योजना, कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग का साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण (Evidence based approach) सुनिश्चित करने के लिये समवर्ती (CONCURRENT) एवं परिचालनात्मक (Operational) शोध को बढ़ावा दिया जायेगा।

ईसीसीई संबंधित विभिन्न शैक्षणिक सामग्रियों के विकास एवं मूल्यांकन का कार्य ईसीसीई रिसोर्स सेंटर में संपादित हो सकेगा। ईसीसीई रिसोर्स सेंटर के अंतर्गत विभिन्न स्टैकहोल्डर्स के सहयोग से अभ्यास, शोध एवं प्राप्त अनुभवों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदाय किया जा सकेगा तथा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से शिक्षकों के लिये प्रोग्राम एवं कोर्स आदि तैयार किये जा सकेंगें।

आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण

प्रदेश में वर्तमान में 84,465 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है, जिसमें से 62,516 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय/अन्य शासकीय भवनों में, 19925 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में एवं 2024 अन्य भवनों में संचालित है। **(स्त्रोत–विभागीय एम.आई.एस. रिपोर्ट दिनांक 04.02.2022)**

वर्तमान में राज्य आयोजना मद अन्तर्गत मनरेगा के अभिसरण से प्रदेश में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् से प्राप्त नवीन प्राक्कलन अनुसार कराया जा रहा है। प्रति आंगनवाड़ी भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग का अंशदान निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

- बगैर बाउण्ड्रीवॉल निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी भवनों में – राशि रूपये 2.10 लाख
- मय बाउण्ड्रीवॉल निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी भवनों में राशि रुपये 4.50 लाख

उपरोक्त निर्माण में मनरेगा का अंशदान राशि रुपये 5.00 लाख रहता है।

मनरेगा अभिसरण से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण पूर्ण होने पर भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रतिभवन राशि रूपये 1.00 लाख प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 में राशि रूपये 90.00 करोड़ से 2000 नवीन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण मनरेगा अभिसरण से कराये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके विरुद्व 1993 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति एवं बजट जारी किया गया है। जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विगत 05 वर्षों में आंगनवाड़ी भवन निर्माण

क्र.	वर्ष	मद	लागत प्रति भवन राशि रुपये में	स्वीकृत भवन
1	2017—2018	राज्य आयोजन मद अंतर्गत	7.80 लाख	155
		महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा मनरेगा योजना के अभिसरण से	7.80 लाख	5225
2	2018—2019	राज्य आयोजना मद	7.80 लाख	329
3	2019—2020	राज्य आयोजना मद	7.80 लाख	513
4	2020—2021	राज्य आयोजना मद	7.80 लाख / 9.00 लाख	373
		आदिम जाति कल्याण विभाग (ग्राम पंचायत निर्माण एजेन्सी)	9.00 लाख	43
5	2021—2022	राज्य आयोजना मद (दिसम्बर 2022 तक)	9.50 लाख	1993

प्रशिक्षण

समेकित बाल विकास सेवा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये नव–नियुक्त पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति प्श्चात सर्वप्रथम 8 दिवस का इंडक्शन प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात पर्यवेक्षकों को 32 दिवस का मूलभूत प्रशिक्षण मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (Middle Level Training Center) में दिया जाता है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 32 दिवस का तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 8 दिवस का मूलभूत प्रशिक्षण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (Anganwadi Worker Training Center) में दिया जाता है। इसके अलावा पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7 दिवसीय एवं सहायिकाओं को 5 दिवसीय प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण 02 वर्ष बाद दिये जाने का प्रावधान है। विभाग में नवनियुक्त सहायक संचालकों एवं परियोजना अधिकारियों को आर. सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में आधारभूत प्रशिक्षण (7 सप्ताह) प्रदान किया जाता है एवं आंगनवाड़ी सेवाओं के लिये बाल विकास परियोजना अधिकारियों को जॉब प्रशिक्षण (32दिवस) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) नई दिल्ली एवं इंदौर में कराया जाता है।

उद्देश्य

- आई.सी.डी.एस. के सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के ज्ञान, कौशल और दक्षता में सतत संवर्धन करना।
- विभाग के प्रत्येक स्तर के कार्यकर्ता को सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने हेतु तैयार करना एवं उनको सेवाओं के प्रति संवेदनशील बनाना।

विभागीय प्रशिक्षण संस्थान

पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिये विभाग में 02 अशासकीय मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (Middle Level Training Center) इंदौर एवं जबलपुर मे है, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु 10 शासकीय एवं 16 अशासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (Anganwadi Worker Training Center) है।

मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आदेश क.1694/850/2021/50–2 दिनांक 28.6.2021 द्वारा 10 शासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों को संभाग स्तर पर पद सहित रिलोकेट किया गया है। जिससे अब प्रत्येक संभाग में 1–1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो गये है इनकी जानकारी निम्नानुसार हैः–

शासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

क्र.	संभाग	संचालित प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कहां से स्थानांतरण किया गया
1	भोपाल	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र औबेदुल्लागंज जिला रायसेन	यथावत
2	उज्जैन	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला उज्जैन	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, राजगढ़
3	जबलपुर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र–1 जिला जबलपुर	यथावत
4	इंदौर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला इंदौर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, खरगोन
5	चम्बल	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, मुरैना	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, धार
6	रीवा	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला रीवा	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, सतना
7	सागर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला सागर	यथावत
8	शहडोल	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला शहडोल	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, छतरपुर
9	ग्वालियर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, जिला ग्वालियर	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र, शिवपुरी
10	नर्मदापुरम	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद	यथावत

वर्ष 2021–2022 में कोविड 19 के कारण विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में ऑफलाईन प्रशिक्षण सत्रों का संचालन नहीं किया गया है।

इस वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये गये है। इन प्रशिक्षणों में प्रदेश के जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षकों एवं अन्य प्रतिभागियों को नामांकित किया गया है जिसकी जानकारी निम्नानुसार है –

क्र.	प्रशिक्षण संस्थान	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	निपसिड दिल्ली (Online)	25	176
2	निपसिड इंदौर (Online)	8	87
3	प्रशासन अकादमी, भोपाल (Online)	3	61
4	आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल (Offline)	2	23

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन

प्रदेश के बच्चो में व्याप्त कुपोषण को रोकने तथा पॉच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार करने के उददे्श्य से मिशन प्रारंभ किया गया है, ताकि वर्तमान में प्रदाय की जा रही पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं और उनके सभी घटकों जैसे – वित्तीय संसाधनों का सही और उचित समय पर उपयोग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने आदि के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया जा सके। वर्ष 2020 हेतु मिशन के लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण एवं रणनीति का अनुमोदन मिशन की साधारण सभा द्वारा निम्नानुसार किया गया।

मिशन के माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के संदर्भ में आई.सी.डी.एस. तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की Gap Filling के माध्यम से सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

क्र.	विवरण	एन.एफ.एच.एस.4 (2015–16)	अटल बाल मिशन में वर्ष 2020 हेतु निर्धारित लक्ष्य
1	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर	65	40
2	सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	42.8	30
3	गंभीर कुपोषण (SAM) का प्रतिशत	9.2	< 5

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के समेकित प्रबंधन IMAM वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका वर्ष (2020–2021) का विमोचन किया गया।

मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम

प्रदेश स्तर पर गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन हेतु क्रियान्वित समेकित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated management of acute malnourished children I-MAM) अन्तर्गत गंभीर कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित बच्चों के पोषण प्रबंधन एवं कुपोषण के रोकथाम हेतु समेकित प्रयास किया हर आ जा रहा है। इस प्रयास अन्तर्गत कुपोषण के जोखिम से बचाने एवं कुपोषण निवारण हेतु अर्न्तपीढ़ीगत दृष्टिकोण आधारित हस्तक्षेप को सम्मिलित किया गया है –

1. उपचारात्मक हस्तक्षेप : इस हस्तक्षेप अंतर्गत गंभीर कुपोषण की श्रेणी–अति गंभीर कुपोषण (SAM) के श्रेणी चिन्हित चिकित्सकीय जटिलता एवं गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार संस्थागत एवं समुदाय स्तर पर परिवार के सहयोग से उपचार तथा पोषण प्रबंधन किया जावे। साथ ही मध्यम गंभीर कुपोषित (MAM) बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु समुदाय स्तर पर उनके पोषण प्रबंधन का सघन प्रयास किया जावे।

2. रोकथाम/प्रतिबंधात्मक हस्तक्षेप – कुपोषण के कारण में अन्तपीढ़ीगत कारणों के निवारण के बिना कुपोषण निवारण का प्रयास संभव नही है। इस हेतु आवश्यक है कि कुपोषण के प्रारम्भिक कारणों की पहचान कर उसका निदान किया जावे। इस हस्तक्षेप अन्तर्गत चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं एवं कम वजन के जन्मे बच्चों का उनके प्रथम 6 माह के दौरान गृहभेंट एवं अतिरिक्त विशेष देखभाल करना सम्मिलित किया गया है. साथ ही सभी मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित कराना।

क्रियान्वयन : विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं यूनिसेफ, मध्यप्रदेश के तकनीकी सहयोग से मध्यम एवं अति गंभीर कुपोषित बच्चों के समेकित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम (IMAM) हेतु मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम का

क्रियान्वयन अंतर्गत IMAM रणनीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों का संस्थागत उपचार एवं पोषण प्रबंधन एवं गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों को पंजीकृत कर विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार द्वारा अनुशंसित दस चरणों में समुदाय स्तर पर परिवार के सहयोग से पोषण प्रबंधन किया जाता है। विभाग द्वारा बच्चों की नामवार जानकारी विभागीय ऐपलिकेशन सम्पर्क में एकत्र कर सभी पंजीकृत बच्चों का 12 साप्ताहिक फॉलोअप किया जाकर परिवार को सहयोग किया जा है।

विभाग द्वारा सितम्बर 2020 से 22 दिसम्बर 2021 के दौरान किये गये प्रयसों से 5.90 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण प्रबंधन हेतु पंजीकृत किया गया है। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत निम्नानुसार सुधार परिलक्षित हुआ है:–

- 1.11 लाख SAM बच्चे पंजीकृत किये गये, जिसमें से 83 हजार बच्चे सामान्य पोषण स्तर में आ गये है, जो 74.80% है एवं 18408 SAM बच्चे (16.5%) आंशिक पोषण स्तर से MAM श्रेणी में परिवर्तित हुये।
- 4.79 लाख पंजीकृत MAM बच्चों में से 3.93 लाख बच्चे सामान्य पोषण स्तर में आ गये है, जो 82.09% है।
- कुल पंजीकृत 5.90 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों में से 4.76 लाख बच्चे सामान्य पोषण स्तर में आ गये, जो 80.71% है।

प्रदेश में मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटे अनाज आधारित 71 रेसिपी की पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 4.10.2021 को किया गया। यह पुस्तिका मोटे अनाज को बढ़ावा देने में उपयोगी साबित होगी। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।

पोषण अभियान

केन्द्र प्रवर्तित योजना ''पोषण अभियान'' का संचालन प्रदेश के समस्त 52 जिलों की 453 एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतर्गत स्वीकृत 97135 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रो के माध्यम से किया जा रहा है। अभियान का लक्ष्य वास्तविक समय में निगरानी के द्वारा बच्चों में कम वजन, ठिगनापन एवं शारीरिक दुबलापन (wasting) तथा बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं/महिलाओं में एनीमिया के स्तर को समयबद्ध तरीके से कम करना है।

पोषण अभियान का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 06 वर्ष तक के बच्चों में ठिगनेपन की दर में 2 प्रतिशत कमी, बच्चों में वजन की दर में 2 प्रतिशत कमी, बच्चों में एनीमिक की दर में 3 प्रतिशत कमी, किशोरियों में एनीमिया की दर में 3 प्रतिशत कमी एवं जन्म के समय कम वजन में 2 प्रतिशत कमी प्रतिवर्ष की दर से लाना है।

पोषण अभियान के घटक

1. पोषण ट्रैकर : पोषण अभियान अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी (Information & Communication Technology Enabled Real Time Monitoring ICT-RTM) मोबाइल आधारित पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन से की जाती है। इसका उपयोग आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं की दैनिक जानकारी की प्रविष्टि में एवं हितग्राहियों को समयबद्व सेवायें प्रदान करने में किया जाता है। आंगनवाडी केन्द्र में दर्ज समस्त हितग्राहियों की सूची मोबाइल पर कही भी किसी भी समय पर देखी सकती है। बच्चों की वृद्धि निगरानी करना आसान होता है। वर्तमान में 97135 आंगनवाड़ी कार्यकताओं को पोषण ट्रैकर ऐप के उपयोग हेतु प्रशिक्षित कर कार्य कराया जा रहा है।

2. आई.एल.ए. प्रशिक्षण : मैदानी अमले की विभिन्न संबंधित विषयों पर क्षमता वृद्धि हेतु वृद्धिशील शिक्षण दृष्टिकोण (Incremental Learning Approach -ILA) प्रशिक्षण दिया जाता है। e-ILA प्रशिक्षण माड्यूल का समस्त पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकताओं द्वारा शत प्रतिशत ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

3. अभिसरण कार्ययोजना : विभिन्न विभागों की पोषण संबंधी सभी योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर आंगनवाड़ी केन्द्र, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर अभिसरण कार्ययोजना (Convergence Action Plan) तैयार कर कुपोषण प्रबंधन के प्रयास किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अभिसरण घटक के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही हैं –

3 (अ) राज्य पोषण प्रबंधन रणनीति अन्तर्गत त्रिस्तरीय कार्ययोजना : सुपोषित प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माह सितम्बर 2020 में पोषण माह एवं गरीब कल्याण

सप्ताह अन्तर्गत पोषण महोत्सव में 17 सितम्बर 2020 को भारत सरकार के महत्वांकाक्षी पोषण अभियान अन्तर्गत राज्य, जिला एवं प्रत्येक ग्राम एवं शहरी वार्ड की पोषण प्रबंधन रणनीति सभी विभागों के अभिसरण/समन्वय से प्रदेश स्तर, समस्त 52 जिलों एवं 97135 आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है। पोषण प्रबंधन रणनीति अन्तर्गत सभी विभागों के समन्वय से त्रि–स्तरीय रणनीति जिसमें अल्प, मध्य एवं दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण कर कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में भी निरन्तरता जारी रखी गई है।

समुदाय आधारित गतिविधियां (CBE) - आँगनवाड़ी केन्द्रों की सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच विस्तार के उद्देश्य से जनसमुदाय की भागीदारी को बढ़ाने हेतु प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार गोदभराई, द्वितीय मंगलवार अन्नप्राशन कार्यक्रम, तृतीय मंगलवार को बाल चौपाल, चतुर्थ मंगलवार को लालिमा दिवस एवं पांचवे मंगलवार को सुपोषण दिवस मनाया जाता है। कोविड–19 संक्रमण के कारण यह गतिविधियां स्थगित थीं, जिन्हें आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन आरंभ होने से पुनः सभी 97135 आंगनवाड़ी केन्द्रों में आरंभ किया गया है।

प्रथम मंगलवार – गोदभराई दिवस

गोदभराई कार्यक्रम में गाँव की गर्भवती महिलाओं को शीघ्र पंजीयन हेतु आँगनवाड़ी केन्द्र में आमंत्रित कर उनकी गोदभराई का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के शीघ्र पंजीयन, मातृ शिशु रक्षा कार्ड के उपयोग, एवं गर्भवती माता द्वारा आयरन फॉलिक एसिड व कैल्शियम की गोलियों के सेवन एवं धात्री माताओं को शिशु को स्तनपान कराने हेतु परामर्श दिया जाता है। कार्यक्रम में सम्मिलित गर्भवती महिला को मांगलिक सामग्री जैसे–श्रीफल, सिंदूर, चूड़ी, बिन्दी इत्यादि के साथ साथ खाद्य विविधता आधारित पोषण की टोकरी, फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड व कैल्शियम की गोलियां प्रदाय की जाती है। उन्हें तथा उनके परिवार सदस्यों को गर्भावस्था में उचित पोषण, आराम एवं स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी दी जाती है। पात्र हितग्राही : गर्भवती एवं धात्री महिलाएं

द्वितीय मंगलवार – अन्नप्राशन दिवस

अन्नप्राशन कार्यक्रम में 06 माह की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को प्रथम बार ऊपरी आहार की शुरूआत आँगनवाड़ी केन्द्र में कराई जाती है। 06 माह से 24 माह आयु वर्ग के बच्चों के अभिभावकों को आमंत्रित कर ऊपरी आहार की मात्रा, बारम्बरता एवं स्वच्छता सम्बंधी परामर्श दिया जाता है। हितग्राही बच्चे को प्रतीक स्वरूप कटोरी चम्मच के साथ साथ बच्चें के उपरी आहार से संबंधित खाद्य विविधता आधारित पोषण की टोकरी भेंट कर ऊपरी आहार संबंधी जानकारी दी जाती है। **पात्र हितग्राही : 06 से 24 माह के बच्चे**

तृतीय मंगलवार – बाल चौपाल

बाल चौपाल में प्रत्येक माह विशेष में आने वाले सभी 1 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का जन्मदिन एवं 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों द्वारा शालापूर्व शिक्षा अर्न्तगत मासिक थीम अनुसार बाल चौपाल की गतिविधियां आँगनवाड़ी स्तर पर सामूहिक रूप से आयोजित की जाती हैं। कार्यक्रम के दौरान शालापूर्व शिक्षा वाले बच्चो के अभिभावक को शामिल कर आँगनवाड़ी द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। आयोजन के दौरान बच्चों को भेंट के रूप में पेन्सिल, रबर, पानी की बॉटल इत्यादि प्रतीक स्वरूप दिए जाने का प्रावधान है। **पात्र हितग्राही : 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे**

चतुर्थ मंगलवार – लालिमा दिवस

लालिमा दिवस के दिन किशोरी बालिकाओं एवं प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को आमंत्रित कर उन्हें लक्षणों के आधार पर खून की कमी की पहचान, संतुलित आहार, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा आर्थिक गतिविधियों से सम्बंधित परामर्श दिया जाता है। किशोरी बालिकाओं हेतु राज्य द्वारा तैयार कॉमिक बुक के आधार पर प्रतिमाह हेतु निर्धारित थीम अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सामान्य ज्ञान एवं खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है एवं कार्यक्रम के दौरान किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जाँच की जाती है तथा आवश्यकतानुसार उपचार कर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। **पात्र हितग्राही : किशोरी बालिकाएं एवं प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं**

पांचवा मंगलवार – सुपोषण दिवस

सुपोषण दिवस में पोषण स्तर में सुधार हेतु परिवार के पुरूष सदस्यों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ग्राम की महिला स्व सहायता समूह एवं आशा के सहयोग से परिवार के पुरूष सदस्यों की बैठक आयोजित की जाती है। जिसमें बच्चे के जन्म के पूर्व एवं जन्म के पश्चात 2 वर्ष तक (1000 दिवस) अपनाई जाने वाली सावधानियों एवं पुरूष सदस्यों की जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाता है। **पात्र हितग्राही – हितग्राही परिवार के पुरूष सदस्य व जन–प्रतिनिधि**

टीप – कोविड 19 संक्रमण के कारण आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन स्थगित रखे जाने के से समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन बंद रहा। आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन पुनः संचालन प्रारम्भ किये जाने से सामुदायिक गतिवधियां का आयोजन प्रारंभ किया गया है।

4. पोषण अभियान अन्तर्गत नवाचार–

(अ). पोषण सरकार : सुपोषित मध्यप्रदेश की संकल्पना को मूर्तरूप देने, पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं सतत निगरानी हेतु स्थानीय निकाय ढाचा के नेतृत्व में पोषण सरकार की अवधारणा को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अनौपचारिक समूह शौर्या दल, युवा और किशोर समूहों, महिला समूहों, स्व–सहायता समूहों आदि के सहभागिता से सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया जाकर, योजनाओं अन्तर्गत लक्षित परिणाम हेतु सहभागी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पोषण सरकार अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर स्थानीय निकायों (पंचायत एवं नगरीय निकाय), के साथ VHSNCs, SMCs, JFMCs, मातृ सहयोगिनी समिति आदि समितियों को शामिल कर विभागीय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत् निगरानी की जाकर, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जानी है।

(ब). पोषण मटका : माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पोषण महोत्सव के दौरान समुदाय की सहभागिता से कुपोषण के कलंक को खत्म करने के उद्देश्य से समुदायिक सहभागिता के रूप में पोषण मटका में खाद्य सहयोग की अपील की गयी है। जिसका उपयोग सभी अति कम वजन/अति गंभीर कुपोषित बच्चे के परिवार के लिए किया जाता है। ग्राम/नगर क्षेत्र के समृद्ध किसान/परिवारों से सहयोग लेकर पोषण

मटका में वर्ष 2020–21 में 174 टन 2021–22 (अप्रैल से दिसम्बर 2021 तक) में 183 टन खाद्य सामग्री (अनाज/दाल/फल–सब्जी) का संग्रहण कर अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवार को सहयोग किया गया।

(स). **पोषण वाटिका** – पोषण अभियान में कुपोषण एवं एनीमिया निवारण हेतु पोषण वाटिका को एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में अनुशंसित किया गया है। भारत सरकार द्वारा आईसीडीएस कार्यक्रम को सशक्त बनाने हेतु पोषण अभियान का क्रियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार प्रदेश में स्थानीय परिवारों, समुदाय, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय भवनों मे पोषण वाटिका का निर्माण कर स्थानीय स्तर पर पोषण विविधता को बढ़ावा दिया जाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य **''जो लगायें वही खाएं – जो खाएं वही लगायें''** के सिद्धान्त पर पोषण वाटिका के माध्यम से आसानी से उगने वाली हरी, पत्तेदार साग, सब्जियां/फल आदि लगाकर समुदाय स्तर पर इनके उपयोग हेतु व्यवहार परिवर्तन लाना है। भारत सरकार के कृषि उद्यानिकी मंत्रालय द्वारा 66 हजार से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सीड किट उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में शासकीय भवनों एवं किराये के भवनों में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में लगभग 61,387 (63 प्रतिशत) पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया है। प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रो द्वारा पोषण वाटिकाओं में सब्जियों का उत्पादन किया जाकर कुपोषित बच्चों हेतु परिवारों को प्रदाय किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) प्रदेश के समस्त जिलों में ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013'' के तहत लागू की गयी है।

उद्देश्य

गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करना, ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात् उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके।

नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना।

पात्र हितग्राही

योजनान्तर्गत समस्त गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं, प्रथम जीवित जन्मे बच्चे पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति उपरान्त इस योजना के लाभ की हकदार होगीं।

लाभ

योजनान्तर्गत प्रत्येक पात्र हितग्राही को (सशर्त मातृत्व लाभ) राशि रूपये 5,000/– तीन किस्तों में दी जाती है। प्रथम किस्त रूपये 1,000/– आंगनवाड़ी केन्द्र पर गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन कराने पर, द्वितीय किस्त रूपये 2,000/– कम से कम प्रसव पूर्व एक जाँच कराने एवं गर्भावस्था के 06 माह पूर्ण होने पर तथा तृतीय किस्त रूपये 2,000/– बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर Direct Benefit Scheme (DBT) के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक/पोस्ट आफिस खाते में प्रदान करने का प्रावधान है।

योजना की परिधि से बाहर

सभी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र एवं राज्य सरकारों के) कर्मचारियों एवं जिन्होंने किसी भी अन्य कानून के तहत समान लाभ प्राप्त किया हो, उन्हे भी इस योजना से बाहर रखा गया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) अन्तर्गत योजना प्रारंभ दिनांक 01/01/2017 से दिनांक 02/03/2022 तक की स्थिति में PMMVY-CAS साफ्टवेयर में कुल 27,55,853 हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 02/03/2022 तक योजनान्तर्गत 5,14,301 हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में राष्ट्रीय स्तर पर योजना क्रियान्वयन में प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है।

Cattle
BOB KIDESS EARN
POMNYAR VGTJRT
HOINL FTSDWEASI
XUNCHEBNGRONG
HOINL FTSDWEASI
XUNCHEBNGRONG
DEER WHUNDEACP
MOUSE

बाल संरक्षण

समेकित बाल संरक्षण योजना

उद्देश्य

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित बालकों के समग्र विकास, पुनर्वास एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनांतर्गत संस्थानिक सेवायें (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी, बालगृह, आश्रय गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह) एवं गैर संस्थानिक सेवायें (दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप) के माध्यम से देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित बालकों के प्रकरण पर कार्यवाही हेतु प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान है। यह ''बाल अधिकार संरक्षण'' और ''सर्वोत्तम बाल हित'' के दिशा निर्देशक सिद्धांतो पर आधारित है। इस प्रकार समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का समग्र कल्याण एवं सुभेद्यता में कमी लाना है।

लक्ष्य

- देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता हेतु अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत बनाना और संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण।
- किशोर न्याय अधिनियम का क्रियान्वयन।
- सभी स्तरों पर क्षमता बढ़ाना।
- बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस और ज्ञान आधार सृजन करना।
- परिवार एवं समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण का सुदृढ़ीकरण।
- सभी स्तरों पर अन्तः क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।
- विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में संचालित अन्य बाल कल्याण योजनाओं को एक छत के नीचे संचालित करना।
- साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन।

देखरेख और संरक्षण का जरूतमंद बालक

- ऐसा बालक जिसके बारे में पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान और जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं है।
- अनाथ, बेसहारा, अभ्यर्पित, निराश्रित।
- वह बच्चे जिनके माता–पिता उन्हें पालने में सक्षम नही है।
- परित्यक्त, गुमशुदा एवं घर से भागे हुए बच्चे।
- विपत्तिग्रस्त अथवा कठिन परिस्थिति में रह रहे बच्चे।
- हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचाये हुए बच्चे।
- मानसिक एवं शारीरिक रूप से मंदित या बीमार बच्चे।
- एड्स पीड़ित बच्चे अथवा संक्रमित परिवार के बच्चे।
- मानव तस्करी से मुक्त करवाये गये बच्चे।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त, सड़क पर निवासरत बच्चे, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे।
- जेल में निरूद्ध माता–पिता के बच्चे।

योजना के तहत राज्य से ग्राम स्तर तक प्रबंधन

क्रमांक	राज्य स्तर	जिला स्तर	ग्राम/ब्लॉक स्तर
1.	राज्य बाल संरक्षण समिति	जिला बाल संरक्षण समिति	ब्लॉक बाल संरक्षण समिति
2.	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण	किशोर न्याय बोर्ड	ग्राम बाल संरक्षण समिति
3.		बाल कल्याण समिति	
4.		विशेष किशोर पुलिस इकाई	

संस्थागत सेवाएं

प्रदेश में अनाथ, बेसहारा एवं देखरेख तथा संरक्षण वाले बालकों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं पुनर्वास हेतु 116 शासकीय/अशासकीय शिशुगृह, बालगृह, आश्रयगृह, खुला आश्रय गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं पश्चात्वर्ती गृह पंजीकृत होकर संचालित है। इन संस्थाओं में बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को स्थाई एवं अस्थाई संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में संचालित संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

शिशुगृह – 0 से 6 वर्ष के बालकों के संरक्षण देखरेख तथा पारिवारिक पुनर्वास हेतु प्रदेश में 32 शिशु गृह संचालित। निवासरत बच्चों की संख्या 207

बालगृह – 6 से 18 वर्ष की आयु के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को संरक्षण भरण पोषण चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण, की सुविधाओं के अतिरिक्त पारिवारिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास कर समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने संबंधी कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में 52 बालगृह संचालित हैं। निवासरत बच्चों की संख्या 1881 है।

खुला आश्रय गृह – 18 वर्ष तक की आयु के बेघर, फुटपाथ पर घूमने वाले सडक पर रहने वाले, बाल भिक्षुको, को आश्रय दिया जाकर शिक्षण प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श के द्वारा जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास, आत्म–सम्मान वर्धन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। प्रदेश में 11 खुला आश्रयगृह संचालित हैं जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 318 है।

पश्चातवर्ती गृह – विशेष गृहों एवं बालगृहों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उन्मुक्त हुये बालक/बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक भरण पोषण, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है तथा इन किशोर/किशोरियों का सामाजिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास किया जाता है। प्रदेश में 02 पश्चातवर्ती गृह संचालित है जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 34 है।

संप्रेक्षण गृह – विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु से कम आयु के किशोरों को जमानत न होने तथा किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण के विचारण तक संरक्षण, भरण पोषण चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में 18 सम्प्रेक्षण गृह संचालित है, जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 200 है।

विशेष गृह – किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु किशोरों को संरक्षण, भरण पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है, ताकि उनका समाज में व्यस्थापन संभव हो सके। प्रदेश में 03 विशेषगृह संचालित है जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 41 है।

गैर संस्थागत सेवाएं

बालकों को उनके परिवारो में भरण पोषण शिक्षा एवं चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने एवं स्थाई परिवार उपलब्ध कराने हेतु गैर संस्थागत सेवाऐं प्रदान की जाती है। गैर संस्थागत सेवाऐं निम्नानुसार है :–

6.1 दत्तक ग्रहण – प्रदेश में वर्तमान में 32 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी संचालित हैं। इन दत्तक ग्रहण अभिकरणों में निवास कर रहे बच्चों को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकारण द्वारा निर्मित केन्द्रीय दत्तक ग्रहण विनियम– 2017 के प्रावधानुसार दत्तक दिया जाता है। दत्तक ग्रहण के अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी होते है। वर्ष 2021–2022 मे 110 बच्चों को दत्तक दिया गया।

6.2 पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) – पालन पोषण देखरेख एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें बालकों को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से, असंबंधित परिवारों के सदस्यों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाता है। बच्चे को पालन पोषण देखरेख में रखते समय ऐसे परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी, जो बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत या

समुदाय/गोत्र से संबंध रखते हैं। इसमें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत मामलों के मूल्याकंन के आधार पर पालन पोषण देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पालन पोषण देखरेख बच्चों की जरूरतों के आधार पर अल्पकालिक अथवा दीर्घ कालिक हो सकता है। सामूहिक पालन पोषण देखरेख का उद्देश्य बच्चे को व्यक्तिगत देखभाल एवं समुदाय आधारित तथा पारिवारिक वातावरण एवं पालन–पोषण प्रदान करना है।

वर्ष 2020 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पालन पोषण देखरेख हेतु मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा निर्देश, 2020 तैयार किये गए हैं, जिनमें उपरोक्त प्रावधानों में सरलीकरण करते हुए, परिवार में सामूहिक पालन पोषण देखरेख अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत पंजीयन की बाध्यता से मुक्त किया गया है और आपातकालीन पालन पोषण देखरेख को भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में किसी देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को 24 घंटे से कुछ दिनों तक भी पालन पोषण देखरेख हेतु दिया जा सकता है।

पालन पोषण देखरेख के लिये पात्र बच्चों की श्रेणियां –

बच्चों की निम्नलिखित श्रेणियॉ को पालन पोषण देखरेख हेतु योग्य माना जायेगा :–

- 0–6 आयु वर्ग के बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को सामान्यतः दीर्घकालिक पालन पोषण देखरेख के अंतर्गत रखने पर विचार नहीं किया जायेगा। इस आयुवर्ग के बच्चों को दत्तक ग्रहण के तहत स्थाई परिवार उपलब्ध कराने की कोशिश की जायेगी।
- 6–18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे जो कि बाल देखरेख संस्थाओं (Child Care Institutions) में रह रहे हैं। उन्हे देखभाल संस्थान में विकसित व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर पालन पोषण देखरेख में रखा जाऐगा।
- बच्चे जिनके माता–पिता अस्वस्थ्य रहतें है एवं माता–पिता बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है एवं जिनके माता–पिता द्वारा समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को उनके बच्चे की देखभाल करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है।
- वर्ष 2021–22 में 351 बच्चों को पालन पोषण देखरेख में दिया गया जिन्हें रुपये 2000/– प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

6.3 प्रायोजन कार्यक्रम (स्पॉन्सरशिप) – बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से **प्रायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत** उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास संबधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे के परिवार/बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालक को अनुपूरक सहायता या वित्तीय या अन्य माध्यमों से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2020 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पालन पोषण देखरेख हेतु मध्यप्रदेश बाल प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) दिशा निर्देश, 2020 तैयार किये गए हैं, जिनमें उपरोक्त प्रावधानों में सरलीकरण करते हुए प्रति बच्चा रुपये 2000/– प्रति माह की सहायता के अलावा, निजी स्पॉन्सरशिप के प्रावधानों को भी जोड़ा गया है। जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्थान द्वारा किसी भी पात्र बच्चे को स्पोंसर किया जा सकता है और संस्था की आधारभूत संरचना हेतु भी सहयोग किया जा सकता है। किसी कंपनी अथवा औद्योगिक इकाई द्वारा सी एस आर के अंतर्गत भी सहयोग किया जा सकता है।

विशेष परिस्थिति में बच्चों को 18 वर्ष तक शासकीय प्रयोजन के बाद 21 वर्ष तक निजी प्रयोजन से लाभान्वित किया जा सकता है। वर्ष 2021–2022 में 1689 बच्चों को शासकीय स्पॉन्सरशिप का लाभ दिया गया जिन्हें रुपये 2000/– प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

6.4 निजी स्पॉन्सरशिप – कोविड–19 महामारी के कारण अनाथ हुये बच्चों एवं ऐसे बच्चों, जिन्होंने अपने माता–पिता मे से किस एक को खो दिया है एवं कठिन परिस्थिति में है, को संरक्षण प्रदाय करने के उद्देश्य से निजी स्पॉन्सरशिप अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। उद्योगपति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं स्वंयसेवी संगठनों के माध्यम से बच्चों को स्पॉन्सर किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 4709 बच्चों को निजी

स्पॉन्सरशिप से जोड़ा गया है एवं प्रति बच्चा राशि रूपये 2000/– मासिक सहायता राशि प्रदाय की जा रही है।

6.5 पश्चातवर्ती देखरेख – बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत ऐसे बालक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं जिनकी देखरेख करने वाले कोई नहीं है, उन्हें पश्चातवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत 21 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक पश्चातवर्ती गृह में रखने की व्यवस्था है। पश्चातवर्ती कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में 2 गृह संचालित है – 1. भोपाल जिले में बालिकाओं हेतु, 2. जबलपुर में बालकों हेतु

मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल सेवा योजना

ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता का कोविड–19 के कारण निधन हो गया है, को आर्थिक सहायता खाद्यान्न सुरक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल सेवा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 30/05/2021 को किया गया है। योजनातंर्गत प्रत्येक बाल हितग्राही को रुपये 5000/– प्रतिमाह की सहायता राशि 21 वर्ष की आयु तक अथवा स्नातक में अध्ययनरत होने की स्थिति मे 24 वर्ष तक या स्नातक पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, प्रदाय की जायेगी ।योजना अंतर्गत समस्त बच्चों को निः शुल्क शिक्षा अथवा निर्धारित सीमा तक शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। योजनातंर्गत 1365 बच्चों को लाभांवित किया जा रहा है। सभी बच्चों / संरक्षकों को खाद्यान्न पर्ची जारी की गई है।

पी एम केयर्स स्कीम –

माता–पिता/दत्तक माता–पिता/वैद्य अभिभावक/एकल माता या पिता (जिनमें से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है) की मृत्यु 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को सहायता हेतु योजना प्रारंभ की गयी। फरवरी 2022 में समय सीमा 28 फरवरी 2022 की गई। योजनांतर्गत बच्चे को शैक्षणिक सहायता के अतिरिक्त बच्चे के 23 वर्ष का होने पर बच्चे को राशि रुपये 10 लाख प्रदान की जाएगी। बच्चे को 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत रुपये 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा। योजनांतर्गत 423 बच्चों के प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं।

बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड का गठन –

विभाग द्वारा विशेष प्रयास कर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत् गठित बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के 18 जिलों के 68 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2021 में साक्षात्कार आयोजित किये गये। शासन अधिसूचना दिनांक 26 अक्टूबर 2021 एवं 12 नवम्बर 2021 से अशासकीय सदस्यों के चयन की अधिसूचना जारी की गई है। बोर्ड एवं समिति के नवनियुक्त अशासकीय सदस्यों को दिनांक 16/11/2021 से 17/12/2021 तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

बाल मित्र ग्राम –

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से जिला–विदिशा, इन्दौर, होशंगाबाद, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम, निवाडी, शहडोल, सतना एवं कटनी में बाल मित्र ग्राम स्थापित किये जा रहे है। बाल मित्र ग्राम के मुख्य उद्देश्य बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण और दुर्व्यवहार पर सम्पूर्ण रोक और सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत बाल पंचायत का गठन किया जाएगा, जो स्वयं के संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर सक्रिय काम करेगी। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत, शौर्या दल, ग्राम बाल संरक्षण समिति और स्कूल प्रबंधन समिति के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।

प्रशिक्षण वर्ष 2021–2022

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता संवर्धन हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ऐसे विषय है, जिनके ज्ञान हेतु सतत् प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। कोविड 19 नियम का पालन करते हुये एस.जे.पी.यू. के सदस्य, परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी, सीसीआई के अधीक्षक, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों आदि को निरंतर

प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2021–2022 में **1540 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है।**

चाईल्ड लाईन सेवा – 1098

1098 फोन नम्बर देश के किसी भी कोने से डायल किया जा सकता है। यह 24 घंटे निःशुल्क इमरजेन्सी फोन सेवा है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत् देखरेख और संरक्षण के लिये जरूरतमंद बालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु जो वर्तमान में यह सेवा प्रदेश के 46 जिलों में स्थापित एवं संचालित है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, अधिकारी अथवा स्वयं बालक को यह लगता है कि वह कठिन परिस्थिति में है, तो वह 1098 पर फोन कर सकता है।

पॉक्सो अधिनियम प्रचार–प्रसार

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् अधिनियम के उपबंधों प्रति लोक जागरूकता हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में रेडियो जिंगल, होर्डिंग, पम्पलेट, दिवार लेट आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है तथा राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड 19 नियम का पालन करते हुये अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया।

वर्ष 2021–2022 हेतु योजनातंर्गत व्यय की जानकारी

वर्ष 2021–2022 में योजनातंर्गत राशि रुपये 75.17 करोड़ का कुल बजट प्रावधानित था, जिसमें से राशि रुपये 39.81 करोड़ का व्यय (दिनांक 15 फरवरी 2022 तक) हुआ है।

जवाहर बाल भवन

जवाहर बाल भवन, भोपाल की स्थापना मध्यप्रदेश शासन द्वारा 03 जुलाई 1987 को की गई थी। जवाहर बाल भवन में संचालित गतिविधियों का उद्देश्य 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी आयु, अभिवृत्तियों तथा क्षमताओं के अनुरूप उन्हें परस्पर मेलजोल बढ़ाने, प्रयोग करने, सृजन तथा प्रस्तुतिकरण के लिये विभिन्न गतिविधियां – संगीत, नृत्य, चित्रकला, नाटक, सिलाई–कढ़ाई, गृह–विज्ञान, मूर्तिकला, हस्तकला, विज्ञान, कम्प्यूटर, एयरो मॉडलिंग, खेलकूद, आधुनिक संगीत, आधुनिक कला, आधुनिक अभिनय कला आदि गतिविधियाँ एवं बाल पुस्तकालय संचालित हैं। नियमित गतिविधियों के प्रशिक्षण के साथ–साथ विषय विशेषज्ञों की कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती है।

जवाहर बाल भवन की गतिविधियों से भोपाल के बच्चों के अतिरिक्त अन्य जिलों के बच्चों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बाल भवन योजना का विस्तार किया जाकर वर्ष 2007 में 06 संभागीय मुख्यालयों पर एक–एक बाल भवन क्रमशः – इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा में स्थापना की गई। यह राष्ट्रीय बाल भवन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार), नई दिल्ली से सम्बद्ध है।

ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन प्रशिक्षण का आयोजन

वर्ष 2021–2022 में कोविड–19 संक्रमण के दौरान बच्चों को बाल भवनों की गतिविधियों से जोड़े रखने के लिये जवाहर बाल भवन एवं संभागीय बाल भवनों द्वारा विगत वर्ष 2020–2021 की भांति ऑनलाइन एवं शासन द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। ऑनलाईन एवं ऑफ लाइन प्रशिक्षणों में 1252 बच्चे भाग ले रहे है। सभी बाल भवनों के अनुदेशकों द्वारा अपनी–अपनी विधाओं क्रमशः चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला, नृत्य, नाटक, संगीत, आधुनिक संगीत, आधुनिक अभिनय कला, विज्ञान, कम्प्यूटर, गृहविज्ञान, सृजनात्लक लेखन एवं खेलकूद आदि में पंजीकृत बच्चों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जवाहर बाल भवन भोपाल की प्रमुख गतिविधियां

ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के अवसर पर जवाहर बाल भवन में नाटक, नृत्य एवं संगीत (गायन) विधा में देशभक्ति पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन दिनांक 12.08.2021 से 15.08.2020 तक किया है। जिसमें जूनियर वर्ग में 05 से 10 वर्ष एवं सीनियर वर्ग में 11 से 16 वर्ष तक के 30 पंजीकृत बच्चों ने भाग लिया।

मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति

दिनांक 07/10/2021 को मिन्टो हॉल, भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित विभगीय कार्यक्रम में जवाहर बाल भवन के बाल सदस्यों ने मध्यप्रदेश गान की आकर्षक प्रस्तुति दी गई।

दिनांक 14/10/2021 को मिन्टो हॉल, भोपाल में आयोजित लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम में भोपाल जिले की लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं द्वारा मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति जवाहर बाल भवन के निर्देशन में दी गई।

पाठ्यक्रमों की प्रशासकीय स्वीकृति

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक 2967/1380/2021/50–2, दिनांक 04.10.2021. द्वारा जवाहर बाल भवन भोपाल एवं संभागीय बाल भवन तथा नई शिक्षा नीति के तहत शाला पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रमों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

जवाहर बाल भवन भोपाल के लिये अनुमोदित विधावार पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समस्त विधा प्रभारियों व संभागीय बाल भवनों के लिये अनुमोदित विधावार पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु संभागीय बाल भवनों के सहायक संचालकों को निर्देश जारी किये गये।

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2007 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित (क्रमांक 604) क.एफ. 10–29–06–पचास–2.– बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 36 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाए गए है, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007 है।

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आयोग के कृत्य–

आयोग निम्नलिखित समस्त या किन्ही कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का परीक्षण तथा पुनर्विलोकन करना तथा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना।

(ख) प्रतिवर्ष और ऐसे अंतरालों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट देना।

(ग) बाल अधिकारों के अतिक्रमण का अन्वेषण करना और ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही शुरू करने की अनुशंसा करना।

(घ) आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगें, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एच.आई.वी./एड्स, दुर्व्यापार, प्रताड़ना तथा शोषण, अश्लील चित्रण, तथा वैश्यावृति द्वारा बालकों के अधिकारों को प्रभावित करनेवाले समस्त कारणों का परीक्षण करना और ऐसे मामलों में समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।

(ङ) विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, जिनमें कठिन परिस्थितियों में बालक, उपेक्षित और प्रतिकूल परिस्थितियों में बालक, अपचारी बालक, किशोर, परिवार रहित/निराश्रित बालक तथा बंदियों के बालक सम्मिलित हैं, से संबंधित मामलों को देखना तथा समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।

(च) बाल अधिकारों के बारे में संधियों (ट्रीटीज) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विलेखों का अध्ययन करना तथा विद्यमान नीतियों कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों का सामयिक पुनर्विलोकन करना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना।

(छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना तथा उसे बढ़ावा देना।

(ज) समाज के विभिन्न वर्गो में बाल अधिकारों की जानकारी को प्रसारित करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमीनार तथा अन्य उपलब्ध स्त्रोतों के माध्यम से इन अधिकारों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

(झ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी भी किशोर बंदीगृह या बालकों के निवास का कोई अन्य स्थान या ऐसी संस्था जो बालकों के लिए बनी हो, जिसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित कोई ऐसी संस्था सम्मिलित है, जहां बच्चों को अभिरक्षा या इलाज, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन के लिए रखा जाता हो, का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना तथा यदि आवश्यक पाया जाए, तो ऐसी उपचारात्मक कार्रवाई के लिये उन प्राधिकारियों तक ले जाना।

(ञ) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना :–

(1) बाल अधिकारों का वंचन या अतिक्रमण

(2) बालकों की रक्षा और उनके विकास के लिए उपबंधित विधियों का अक्रियान्वयन

(3) बालकों की कठिनाईयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालकों को अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्वांतों या अनुदेशों का अननुपालन, या ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना और

(ट) किसी ऐसे मामले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना।

आयोग के अतिरिक्त कृत्य –

आयोग, नियम 9 के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी निर्वहन करेगा, अर्थात् :–

(क) बाल अधिकार पर अभिसमय के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए विद्यमान विधि, नीति और प्रथा का विश्लेषण करना, बालकों को प्रभावित करने वाली नीति या प्रथा के किसी पहलु के संबंध में जांच करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नए विधान पर टिप्पणी करना।

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर प्रतिवर्ष और ऐसे अंतरालों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ग) वहां औपचारिक अन्वेषण करना जहां चिन्ता या तो स्वयं बालकों द्वारा या उनकी ओर से संबंधित व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त की गई है।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि आयोग का कार्य बालकों के दृष्टिकोण से सीधे सूचित किया जाता है जिससे उनकी प्राथमिकताओं तथा परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित किया जा सके।

(ङ) अपने कार्य में तथा बालक से संबंधित समस्त सरकारी विभागों तथा संगठनों के कार्य में बालकों के दृष्टिकोण को प्रोन्नत करना, उनका आदर करना तथा उन पर गंभीर विचार करना।

(च) बाल अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना तथा उनका प्रचार करना।

(छ) बालकों के संबंध में आंकड़े संकलित करना तथा उनका विश्लेषण करना; और

(ज) विद्यालय के पाठ्यक्रम, अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा बालकों से संबंधित कार्मिकों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों के समावेशन को प्रोन्नत करना।

परिवादों को निपटाने के लिये प्रक्रिया –

(1) समस्त परिवाद, जो राज्य आयोग द्वारा किसी भी रीति में प्राप्त किये गये हों, रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और उन्हें एक क्रमांक दिया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए गठित दो सदस्यीय न्यायपीठ (बैंच) के समक्ष

साधारणतया उसकी प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह से अनधिक के लिए स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। साधारणतया निम्नलिखित प्रकृति के परिवाद आयोग के लिये ग्राहय नहीं है –

(क) ऐसी घटनाओं के संबंध में, जो परिवाद प्रस्तुत करने के एक वर्ष से अधिक पूर्व घटित हुई है;

(ख) ऐसे मामलों के संबंध में जो न्यायाधीन है;

(ग) जो स्पष्ट नहीं हैं, बिना किसी नाम से या छदम् नाम से है;

(घ) जो तुच्छ प्रकृति के है;

(ङ) जो आयोग के अधिकारिता के बाहर है.

(2) परिवादों के लिए कोई फीस देय नहीं होगी.

(3) प्रत्येक परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए जिससे कि आयोग तुरंत कार्यवाही करने हेतु समर्थ होगा तथा ऐसा प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए कि उस मामले की प्रकृति पूर्णतया स्पष्ट हो जाए जिसके कारण परिवाद किया गया है। तथापि परिवादों को सुविधानुसार फाइल करने के लिए आयोग, संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में किए गए परिवाद को स्वीकार कर सकेगा। आयोग को यह स्वतंत्रता होगी कि वह जब कभी आवश्यक समझे अभिकथनों के समर्थन में और जानकारी तथा शपथ पत्र फाईल किए जाने की अपेक्षा करे।

(4) आयोग, स्वविवेकानुसार, तार, या ई–मेल से भेजे गए परिवादों और फैक्स के माध्यम से परिवादों को ग्रहण करेगा।

(5) आयोग को किसी परिवाद को आरंभ में ही खारिज करने की शक्ति होगी।

(6) किसी परिवाद के ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात् अध्यक्ष/आयोग यह निर्देश देगा कि क्या मामला आयोग की जॉच के लिए रखा जाए या और अन्वेषण किया जाना चाहिए।

(7) प्रत्येक परिवाद के संबंध में, जिस पर अध्यक्ष/आयोग द्वारा कोई ऐसा विनिश्चय किया गया है कि क्या उसकी जांच या अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो आयोग संबंधित सरकार/प्राधिकारी से रिपोर्ट/टिप्पणी मंगाएगा और इस प्रयोजन के लिए सरकार/प्राधिकारी को समुचित समय दिया जाएगा।

(8) संबंधित प्राधिकारी की टिप्पणी प्राप्त होने पर, उस मामले के गुणागुण के आधार पर एक विस्तृत टीप आयोग के विचारण के लिए तैयार की जाएगी।

आयोग स्वप्रेरणा से कार्रवाई करेगा –

आयोग स्व–विवेकानुसार याचिकाकर्ता को या याचिकाकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, और यदि आयोग की यह राय हो कि ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, उसके समक्ष मामले के समुचित निपटारे के लिए सुना जाना चाहिए, तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा और जहां आवश्यक हो उसके संबंध में अभिलेख मंगा सकेगा तथा विषयों का परीक्षण कर सकेगा। आयोग उन व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा जिनका चरित्र उसकी जांच की विषय वस्तु हैं और उसकी राय में उनकी ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, और परिवार के समर्थन में साक्षियों के प्रतिपरीक्षण, यदि कोई हो, करने का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

माननीय सदस्यों के कार्यकाल की जानकारी

सदस्यगण (वर्तमान)	अवधि (कार्यकाल)
1. श्री बृजेश चौहान	26/12/2017 से निरंतर .....
2. श्री द्रविंद्र मोरे	28/03/2018 से निरंतर .....

समाचार

दैनिक अग्नि भारत समाचार

इंदौर, शुक्रवार 16 जुलाई 2021 | 6

bharatsamachar59@gmail.com

बच्चे हमारा कल का सुनहरा भविष्य है इन्हें सहेजे-बृजेश चौहान

रतनपुर।

अनुज अरोड़ा मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय सदस्य श्री बृजेश चौहान की अध्यक्षता में आज विकास खण्ड रामापुर की बैठक जनपद पंचायत हॉल में आयोजित की। बैठक में माननीय सदस्य का पुष्प माला से अभिनंदन किया गया।

माननीय आयोग के सदस्य द्वारा सभी का परिचय प्राप्त किया। इस बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री मोहन कनाल, डिप्टी कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री डॉ. अभयसिंह खराड़ी, एसडीओपी श्री इंदल मौर्य, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास श्री आर.एस. बघेल, श्री बालुसिंह मोहनिया एवं श्रीमती वर्षा चौहान, तहसीलदार श्री रविन्द्र चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री जोशुआ पोटर, सीएमओ श्री कमलेश गोले, बीएमओ श्री डॉ. जी.एस. चौहान एवं बड़ी संख्या में महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाईजर, श्रम विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में माननीय सदस्य श्री बृजेश चौहान द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य बच्चों का संरक्षण, देख-भाल, उनके अधिकारों का संरक्षण व्यवस्थित तरीके से हो इस समय कोरोना की तीसरी लहर संभावित है। जिसमें बच्चों के लिये विशेष सावधानी का समय है। इस दौरान पढ़ाई के लिये भी हमें विशेष ध्यान देना है। बच्चे हमारा कल का सुनहरा भविष्य है। इन्हें सहेजने की जिम्मेदारी हमारी है। इनके अधिकारों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इनकी देख-भाल के लिये विशेष प्रयास होना चाहिये। वर्तमान में विकट परिस्थिति में बच्चों को सिर्फ सही तरीके से नहीं दे पा रहे है। इसके लिये विशेष रूप से कार्य योजना बनाकर बच्चों को शिक्षित करें। हमारा प्रयास हो शिक्षा बच्चों तक कैसे पहुंचे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। बाल श्रम एक गंभीर अपराध है।

इसके लिये हमें सजग रहना होगा एवं यदि बच्चें श्रम करते पाए जाए तो उन्हें पुनर्वास के लिये, शिक्षा के लिये आगे आना होगा। बाल श्रम कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार भी होना चाहिये। कोरोना काल में जिनके माता-पिता का देहांत हुआ है। उनके लिये भी हमें विशेष प्रयास कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। उनका संरक्षण करना है उनके अधिकारों को हमें दिलाना है। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिये कृतसंकल्पित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री डॉ. अभयसिंह खराड़ी द्वारा जिले में बच्चों के लिये किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की एवं श्रम विभाग द्वारा भी जिले में यदि बाल श्रम पाया जाता है तो सजकता से कार्य करने के लिये तत्पर है। चौआरसी द्वारा खण्ड में बच्चों के लिये जो पढ़ाई करने के लिये जो कार्य योजना बनाई गई है। उसके संबंध में माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराया। आयोग के माननीय सदस्य श्री बृजेश चौहान द्वारा जनपद परिसर में वृक्षा रोपण जिसमें अशोक एवं आम का पौधा रोपित किया। इसके पश्चात कोरोना से श्री स्व. विक्रम परमार की मृत्यु होने पर उसके निवास पर पहुंचे वहां पर इनकी पत्नी श्रीमती दिव्या परमार से बच्चों की एवं वहां पर बच्चों को बिस्कीट एवं पुस्तक भेंट की। इसके पश्चात माननीय आयोग के सदस्य द्वारा पोषण पुनर्वास केन्द्र रामापुर पहुंचे वहां पर केन्द्र का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया एवं वहां की व्यवस्था के लिये बधाई दी। वहां पर स्टाफ के बच्चों को बिस्कीट एवं पुस्तक प्रदान की। इस दौरान प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि एवं प्रभारी पीआरओ श्री सुधीर कुशवाह उपस्थित थे।

वर्ष 2021–2022 में आयोग को प्राप्त शिकायतों की स्थिति
(दिनांक 16 जनवरी, 2021 से दिनांक 15 जनवरी, 2022)

एक्ट	15 जनवरी 21 को प्रचलित शिकायतें	16 जनवरी 21 से जनवरी 22 तक प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें (2+3)	निराकृत	प्रचलित
आर.टी.आई.	23	26	49	26	23
पॉक्सो	15	36	51	26	25
जे.जे.	39	94	133	66	67
अन्य	34	99	133	68	65
कुल योग	**111**	**255**	**366**	**186**	**180**

आयोग का पता

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग

59 नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

Telephone No. 0755-2559900/03/04

Fax No. 0755-2559905

Website – http://cpcr.mp.gov.in

E-mail: mpcpcr@gmail.com

मूल्यांकन एवं निगरानी

मूल्यांकन एवं निगरानी

विभागीय योजनाओं एवं आंगनवाड़ी सेवाओं, समेकित बाल संरक्षण योजना, वन स्टॉप सेन्टर आदि योजनाओं एवं गतिविधियों के कियान्वयन, पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वेब–बेस्ड एम.आई.एस. पोर्टल mpwcdmis.gov.in बनाया गया है। उक्त पोर्टल के समानांतर, लाडली लक्ष्मी योजना एवं प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की व्यवस्था तथा निगरानी के लिये ladlilaxmi.mp.gov.in और pmmvy-cas.nic.in पोर्टल संचालित हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत पोर्टल cara.nic.in संचालित है।

पोर्टल mpwcdmis.gov.in के माध्यम से :–

- आंगनवाड़ी स्तर से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की रिपोर्टिंग सीधे सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से वेब एम.आई.एस. में की जाती हैं।
- विभिन्न संकेतकों के आधार पर निगरानी एवं मूल्यांकन।
- ए.एम.पी.आर. डैशबोर्ड द्वारा विभिन्न संकेतकों के आधार पर तुलनात्मक जानकारी एवं विश्लेषण स्वतः निर्मित होती है।
- प्रदेश की गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा दी जा रही सेवाओं की नियमितता सुनिश्चित करने एवं उनकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा

मोबाईल एप्प पोषण ट्रेकर का उपयोग किया जा रहा है।

- आंगनवाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन की डिमांड मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दर्ज हितग्राही आंकड़ों के आधार पर निर्मित होती है।
- विभाग की विभिन्न योजनाओं, आंगनवाड़ी भ्रमण, निर्माण से संबंधित विभिन्न रिपोर्टस विभिन्न स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है।
- सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के प्रतिमाह मानदेय भुगतान की प्रक्रिया एम.आई.एस. के माध्यम से निर्मित उपस्थिति पत्रक के आधार पर की जाती है।
- सभी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु नामांकन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
- ई–डिस्पैच के माध्यम से संचालनालय द्वारा जारी पत्रों को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
- सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी एम.आई.एस. से प्राप्त की जा सकती है।
- 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं की जानकारी MIS में पूर्ण विवरण सहित प्राप्त की जा सकती है।

पोर्टल ladlilaxmi.mp.gov.in के माध्यम से :–

लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही बालिकाओं की जानकारी ऑन लाईन संकलित की जाती है एवं योजना अंतर्गत उन्हें ऑन लाईन निर्मित सर्टिफिकेट प्रदाय किये जाते है।

पोर्टल pmmvy-cas.nic.in के माध्यम से :–

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्राप्त किये जाकर उनका pmmvy-cas.nic.in में परियोजना अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करते हुये योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

पोर्टल cara.nic.in के माध्यम से :–

समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों व बाल ग्रहों में निवासरत बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी प्रावधानों तथा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विभागीय योजनाओं की निगरानी एवं आंकड़ो के विश्लेषण हेतु संपर्क एप्लीकेशन

महिला एवं बाल विकास द्वारा विभागीय एमआईएस के माध्यम से विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं की सतत निगरानी तथा रीयल टाईम आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण हेतु एनरॉयड तकनीक आधारित ''सम्पर्क एप्लीकेशन'' विकसित की गई है। जिसका उपयोग विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एनरॉयड मोबाईल फ़ोन पर सरलता से किया जा रहा है। सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से विभाग द्वारा वार्षिक सर्वे, मासिक प्रतिवेदन, प्रति दिवस की उपस्थिति, क्षेत्र भ्रमण एवं अन्य मुख्य सेवाओं/कार्यक्रम जैस मुख्यमंत्री बाल आरोग्य सवंर्द्धन कार्यक्रम (MBASK) अन्तर्गत C-SAM कार्यक्रम के आंकड़ों को विश्वसनीय तरीके से संग्रहित एवं संधारित किया जा रहा है। संपर्क एप्लीकेशन में निम्न प्रमुख माड्यूल विकसित किये गए हैं–

1. आंगनवाड़ी सेवाओं एवं विभाग की अन्य योजनाओं का वार्षिक सर्वे एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन – पूर्व में विभाग की प्रमुख गतिविधियों पर आंगनवाड़ी स्तर पर प्रति वर्ष माह अप्रैल में वार्षिक सर्वे एवं प्रतिमाह मासिक प्रगति प्रतिवेदन (Monthly Progress Report-MPR) हार्ड–कॉपी में आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा भरे जाने के उपरान्त पर्यवेक्षक के माध्यम से समीक्षा उपरान्त परियोजना कार्यालय में वेब आधारित एम.आई.एस. प्रणाली में आंकड़ों को दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जाती रही है। इस प्रक्रिया में विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन विभागीय MIS के वेब–पेज पर संख्यात्मक जानकारी भरी जाती है, जिससे MIS के अद्यतन में प्रायः विलंब एवं एंट्री के दौरान विसंगतियां होने की संभावना बनी रहती थी। विभाग द्वारा उपयोग की जा रही नवीन टेक्नोलॉजी अन्तर्गत सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मैदानी स्तर के आंकड़े दर्ज किये जा रहे है।
2. गंभीर कुपोषित बच्चो के आंकड़ों का संधारण – प्रदेश के सभी मध्यम गंभीर कुपोषित (MAM) एवं अति गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों की नामवार जानकारी को C-MAM माड्यूल में दर्ज किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी MAM एवं SAM बच्चों को दी जाने सेवाओं, पूरक पोषण आहार, साप्ताहिक एवं पाक्षिक फॉलोअप की जानकारी के साथ–साथ इन बच्चों के माता–पिता की आयु, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय, जाति, मासिक आय,

वर्तमान गर्भावस्था की स्थिति, माता का हीमोग्लोबिन स्तर, गर्भधारण के दौरान उम्र, घर में पीने के पानी, शौचालय जैसे सुविधाओं की जानकारी भी ली जाकर कुपोषण के सामजिक एवं आर्थिक कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में एप में लगभग 5.03 लाख मध्यम गंभीर कुपोषित एवं 1.19 लाख अति गंभीर कुपोषित बच्चों को दर्ज कर उनकी सतत निगरानी की जा रही

3. मैदानी अमले की उपस्थति को दर्ज करना – सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से विभाग द्वारा 97135 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 3401 पर्यवेक्षक एवं 500 से अधिक विभिन्न स्तरों पर अधिकारियो की उपस्थिति की स्थिति को मॉनिटरिंग का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

4. दैनिक गतिविधियाँ के प्रतिवेदन एवं निगरानी – सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्र, सेक्टर, परियोजना एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों के प्रतिवेदन को फोटो सहित प्रविष्ट करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

5. GIS आधारित भ्रमण प्रविष्टि :– विभाग द्वारा सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर किये जाने वाले क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र सहित विभाग की योजना अन्तर्गत संचालित गृहों एवं संस्थाओं के भ्रमण हेतु चेक लिस्ट को उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रकार विभाग द्वारा सम्पर्क एप्लीकेशन की नवीन टेक्नोलॉजी के उपयोग से विभागीय कार्य को सुगम एवं ज्यादा युक्तिपरक बनाने में सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संबंध विभाग द्वारा निरन्तर सुधारात्क प्रयास किये जा रहे है।

सामुदायिक सहभागिता एवं प्रचार गतिविधियां

सामुदायिक सहभागिता एवं प्रचार गतिविधियां

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) एवं व्यवहार परिवर्तन गतिविधियां (एस.बी.सी.सी.) इस रणनीति का महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, साफ/सफाई, स्वच्छता, शिक्षा एवं उनके साथ होने वाले भेदभाव, हिंसा, अन्याय आदि से बचाने के लिये प्रदान की जा रही सेवाओं का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाकर, संबंधित व्यवहारों में प्रभावी एवं स्थाई परिवर्तन लाना है। साथ ही इन सेवाओं की माँग व कार्यक्रम में समुदाय की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना भी है।

वर्ष 2021–2022 में कोविड–19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सुनियोजित रणनीति बनाकर विभिन्न प्रचार माध्यमों, विशेषकर सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए संदेशों को सही माध्यम से हितग्राहियों तक पहुँचाकर उन्हें शिशु एवं बाल्य निर्देशों, विशेषकर स्तनपान, ऊपरी आहार की शुरुआत, पोषण स्तर, कुपोषण, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण आहार, शिशु शिक्षा, जेंडर, बाल विवाह रोकथाम, महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण आदि के बारे में जानकारी देने एवं संबंधित व्यवहारों में परिवर्तन लाने का लगातार प्रयास किया गया।

प्रचार–प्रसार गतिविधियां

रेडियो से प्रचार

सभी आकाशवाणी केन्द्रों एवं निजी FM चेनल्स् से पोषण आहार वितरण, आई.वाय.सी.एफ., मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना, बेक टू स्कूल, बाल विवाह रोकथाम, कोविड में पोषण, गर्भवती की देखभाल, पोषण माह, पाक्सो, सेफ सिटी, महिला हेल्पलाईन 181, वन स्टाप सेंटर आदि पर आधारित ऑडियो जिंगल स्पॉट का प्रसारण प्रति आकाशवाणी केन्द्र से लगभग 280 बार एवं प्रति निजी एफ. एम. चैनल से 700 बार प्रति केन्द्र/चैनल कराया गया। आकाशवाणी से समय–समय पर विभिन्न विषयों पर वार्ताओं आदि का प्रसारण कराया गया।

समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन

विभागीय योजनाओं, गतिविधियों के प्रचार–प्रसार व जागरुकता के लिये समय–समय पर प्रदेश के समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन कराया गया।

सोशल मीडिया से प्रचार

आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया को सबसे सशक्त प्रचार माध्यम समझा जाता है। जन सामान्य तक पहुँच होने और कम लागत के कारण सोशल मीडिया लोगों तक अपनी बात, संदेश पहुँचाने की सबसे अच्छा साधन है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी प्रचार–प्रसार, जनजागरुकता के लिये सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म – फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्वीटर आदि का उपयोग किया जाता है।

वर्ष 2021–2022 में भी कोविड–19 संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये हुए लॉकडाउन के दौरान और बाद में इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इमेज, ग्रॉफिक्स, वीडियो, ऑडियो, इन्फोग्राफिक्स, मोशन पोस्टर, एनीमेशन आदि के द्वारा नियमित रूप से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। साथ ही विभिन्न विषयों पर सहभागिता संवाद, वेबीनार का लाईव प्रसारण किया गया। विभागीय अमले के साथ ही आमजनों ने भी इन प्रसारणों का लाभ लिया। विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी विभागीय अमले को संदेश भेजे गए।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेक टू स्कूल, पोषण वाटिका, महिला सशक्तिकरण, महिला हेल्प लाईन, महिला हिंसा रोकथाम, माहवारी स्वच्छता व उदिता योजना, बाल संरक्षण और Covid प्रभावित बच्चों की मदद के लिये संचालित निजी स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल सेवा योजना, PM Care योजना, मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 1 नवम्बर, World Toilet day, विश्व बाल दिवस 20 नवम्बर, NFHS Five योजनओं, Iron Deficiency day – 26 नवम्बर, संविधान दिवस– 26 नवम्बर के प्रचार–प्रसार हेतु इन विषयों पर केन्द्रित इमेज, ग्रॉफिक्स सोशल मीडिया पर अपलोड किये गये।

Social Media Reach

Twitter Total followers 1551	Facebook Page Likes 14942	Instagram Accounts Followers - 857	Youtube Subscribers 21991	Zoom Meetings
01 April 2021 to 21 Feb 2022				
Total tweets - 455 Impressions - 5,27,743 Profile Visits - 1,04,618	Page reach - 7,45,538 Engaged unique users - 49,555 Impressions - 20,30,423	Accounts engaged - reached - 5743	Views - 691386 Watch time - 80851 M Impressions - 32,11,102 Viewership by gender - women (65.7%), men (35.3%) Viewership by age - 25-37 years (33.7%), 35-44 years (25.9%), 45-54 years (16.6%), 18-24 years (15.3%)	Total Meetings Hours – 375 With Full Capicity

माहवारी
स्वच्छता दिवस
28 मई 2021
माहवारी, किशोरियों एवं महिलाओं में प्रजनन आयु के दौरान होने वाली एक स्वाभाविक एवं सामान्य प्रक्रिया है। यह कोई बीमारी नही है, हालांकि अगर माहवारी का प्रबंधन ठीक से न किया जाए तो कई स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याएं पैदा हो सकती है।

Covid 19
Zinc
जिंक दोबारा दस्त होने से बचाए,
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए
दस्त के खिलाफ जंग
ओ. आर. एस. और
जिंक के संग
दस्त में ज़िंक के फायदे
दस्त को जल्दी ठीक करता है
दस्त की मात्रा, संख्या और अवधि में कमी लाता है
14 दिनों तक देने से आहार नली व पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है
अगले तीन माह तक दोबारा दस्त और अन्य बीमारियों जैसे निमोनिया से बचाव करता है
भूख बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है और कुपोषण से बचाता है
अस्पताल में भर्ती एवं दस्त से होने वाली बाल मृत्यु में कमी लाता है
आओ मिलकर पाएं
दस्त पर जीत
महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

माहवारी जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके शुरू होने पर किसी भी लड़की की पढ़ाई रोकना, उसके भविष्य से खिलवाड़ है।
मुन्नी तुम्हारे माहवारी के दिन चल रहे है कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने कि..
किसी भी लड़की की पढ़ाई में रुकावट देखें तो जिम्मेदार नागरिक बनकर, उसे स्कूल भेजने हेतु माता पिता को प्रेरित करें.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश
Mpwcdmis.gov.in MPWCD @MP_WCD mp_wcd mpwcd

किसी भी तरह की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता, सूचना व सहयोग हेतु
महिला हेल्पलाइन
181
टोल फ्री नम्बर
सफलता के 1 वर्ष
Call 181
महिला हेल्पलाइन
24X7 संचालित
हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस /अस्पताल /एम्बुलेंस/जिला कानूनी प्राधिकरण / संरक्षण अधिकारी/ वन स्टाप सेंटर आदि सुविधाएं उपलब्ध होगी हैं।
महिलाओं को शासकीय सेवाओं / योजनाओं की जानकारी प्रदाय की जाती है।
अनुभवी परामर्शदाता द्वारा परामर्श
181
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

सहभागिता संवाद : कोविड 19 की विषम परिस्थितियों में विभागीय अमले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, जनसमुदाय से सतत् संवाद, Updated Information साझा करने और हितग्राहियों को उपयोगी जानकारी देने हेतु ''सहभागिता संवाद'' का लाईव प्रसारण शुरु किया गया है। विशेष अवसरों, विशेष दिवसों और समय–समय पर Live streaming Platforms – Stream yard, Zoom, YouTube Channel, Face book, Twitter, android app aganwadi radio पर ''सहभागिता संवाद'' का लाईव प्रसारण किया जाता है। इस वर्ष लगभग 9.00 लाख प्रतिभागी इससे लाभान्वित हुए हैं (माह फरवरी 2021 तक)।

ऊपरी आहार अभियान : बच्चों को 6 माह के बाद ऊपरी आहार दिये जाने के संदेशो को ग्राफिक्स, MEME, क्विज एवं वीडियो के द्वारा प्रचारित कराया गया।

लाडली लक्ष्मी उत्सव 14 अक्टूबर 2021 : प्रदेश की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत आयोजित लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार किया गया।

आंगनवाड़ी शुभारम्भ 1 दिसम्बर 2021 : Covid 19 के बाद आंगनवाड़ी पुनः खुलने का विशेष प्रचार–प्रसार किया गया ताकि हितग्राहियों तक आंगनवाड़ी पुनः खुलने की जानकारी पहुँच सके।

Adopt an Anganwadi : विभाग के लोकप्रिय नवाचार Adopt an Anganwadi कार्यक्रम का भी सोशल मीडिया से व्यापक प्रचार किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के वीडियो संदेश, अन्य वीडियो, ग्राफिक्स आदि को सोशल मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुंचाया गया जिससे अधिक से अधिक लोग Adopt an Anganwadi कार्यक्रम से जुड़े।

स्वस्थ बालक–बालिका प्रतियोगिता 8 से 14 जनवरी 2022 : स्वस्थ बालक–बालिका प्रतियोगिता के प्रचार–प्रसार हेतु आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एवं निजी एफ.एफ. से जिंगल स्पॉट का प्रसारण स्थानीय भाषाओं में कराया गया। वीडियो एवं स्टिल ग्राफिक्स के द्वारा प्रचार किया गया।

राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2022 : राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2022 के अवसर पर आकाशवाणी, निजी एफ.एम., दूरदर्शन केन्द्र से संदेशों/रेडियो वार्ता का प्रसारण किया गया। मीडिया पर 10 से ज्यादा वीडियो संदेशो का प्रसारण किया गया। Online Open पोस्टर, कहानी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

अमृतपान अभियान

प्रति वर्ष की भांति 1 से 7 अगस्त, 2021 के दौरान विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 की थीम 'जागरुक सहयोगी परिवार– सफल स्तनपान' थी। कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में अभियान की गतिविधियों को ज्यादातर ऑनलाइन किया गया।

सोशल मीडिया के महत्व को देखते हुए अभियान के लिए एक लोगो, थीम सांग, जिंगल, प्रोफाइल पिक्चर फ्रेम और वेबसाइट www.amrutpaan.org तैयार की गई। लगभग 50,000 से अधिक प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण किया गया जिनमें विभागीय अधिकारी, रेडियो जॉकी और इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल थे। विगत वर्ष के स्थानीय नारों पर आधारित पोस्टर तैयार कर प्रसारित किए गए। क्रॉस लर्निंग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सफल गाथा पर आधारित वीडियो अभियान चलाया गया। स्तनपान पर आधारित कविताओं और गीतों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई और एक गोष्ठी भी आयोजित की गई। इन्फ्लुएंसर्स और रेडियो जॉकी के मुख्य संदेशों पर छोटे–छोटे वीडियो प्रसारित किए। स्तनपान सप्ताह के लिए सोशल मीडिया में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों के 20 से आधिक वीडियो प्रचारित कराये गये। आँगनवाड़ी रेडियो एप पर सफल गाथाओं का संकलन किया गया।

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में अभियान के दौरान रीच

FaceBook		Youtube		Instagram	
New Followers	448	New Followers	1,400	New Subscriber	
Total Posts	56	Total Posts	50	Accounts reached	1657
Reach	57350	Views	1,59,000	Content interactions	687
Engagement	14768	Watch Time	20,400 Hours	Total posts & stories	74

स्तनपान के महत्व, कोलोस्ट्रम फीडिंग आदि विषयों पर केन्द्रित 4 तकनीकी वेबिनार आयोजित किए गए। वेबिनार में स्वास्थ्य विभाग से आशा और ए.एन.एम भी शामिल हुए। जनसमुदाय, विशेष रूप से गर्भवती और धात्री महिलाओं, सास, पिताओं को वेबिनार में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। वेबिनार के माध्यम से लगभग 1.46 लाख से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई गयी। वेबिनार की इस श्रंखला से उपयोगी तकनीकी जानकारी हितग्राहियों तक पहंचाकर और गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास किया गया।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ए.एन.एम, आशा और किशोर–किशोरियों के सहयोग से ग्राम स्तर पर जागरूकता रैलियां, पोस्टर बनाना, दीवार लेखन जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गई। गृह भेंट कर गर्भवती व धात्री महिलाओं को फ्रेन्डशिप बैंड बांधा गया और उन्हें स्तनपान के महत्व की जानकारी दी गई। एन.आर. सी., अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर भी हितग्राहियों को परामर्श दिया गया। सप्ताह के दौरान आयोजित सभी गतिविधियों में जनभागीदारी रही।

सप्ताह के दौरान आकाशवाणी और निजी चैनल्स पर स्तनपान के महत्व को बताने वाले ऑडियो जिंगल स्पॉट 1160 बार प्रसारित किए गए। गतिविधियों को राज्यस्तरीय और स्थानीय प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने व्यापक कवरेज दिया।

सफलता की कहानी

कोविड में परामर्श

COVID–19 अवधि के दौरान, कई नई माताएँ अपने बच्चों को स्तनपान कराने के बारे में चिंतित थीं। ऐसे ही दतिया सेक्टर 22, जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निधि श्रीवास्तव के पास एक मामला आया । एक नई मां ने अपने बच्चे को स्तनपान कराने से इनकार कर दिया, इस चिंता में कि अगर वह उसे अपना दूध पिलाएगी, तो वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगा। तभी निधि नई मां के पास पहुंची। उन्होंने मां को वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उनके प्रश्नों का समाधान किया। इसके बाद उन्होंने मां को बताया कि कैसे स्वच्छता और देखभाल के उचित कदमों के साथ कोरोना से पीड़ित कोई भी नई मां अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है और कदमों पर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। माँ को राहत मिली और उन्हें विश्वास हो गया कि वह सुरक्षित रूप से स्तनपान का अभ्यास कर सकती हैं।

इस घटना के बाद, निधि ने अपने क्षेत्र की माताओं के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जहां वह उनकी चिंताओं/गलतफहमी को दूर कर रही हैं। निधि ने उन्हें विभाग के यूट्यूब चौनल से जोड़ा ताकि वे इन मुद्दों पर उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न सूचनात्मक वीडियो और वेबिनार देख सकें। निधि ने कभी–कभी माताओं को वीडियो–कॉल भी किया, जहां उन्होंने उन्हें स्तनपान के लिए सही स्थिति के बारे में बताया।

पोषण माह 1 से 30 सितम्बर 2021

पोषण जागरुकता हेतु प्रति वर्ष 1 से 7 सितम्बर तक पोषण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021 में पूरे सितम्बर माह को पोषण माह के रुप में आयोजित करते हुए विभिन्न जागरुकता गतिविधियों और सोशल मीडिया पर सघन प्रचार किया गया।

पोषण माह के लिए भी एक लोगो, पोषण एंथम, जिंगल, प्रोफाइल पिक्चर फ्रेम तैयार की गई। विभाग की वेबसाइट www.amrutpaan.org के माध्यम से और Online गतिविधियों जैसे : Quiz, मेरी पोषणवाड़ी फोटो प्रतियोगिता, एक पेड़ एक संदेश प्रतियोगिता, मिलेटस् के व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों के 40 से अधिक वीडियो प्रचारित कराये गये ताकि पोषण के महत्व की जानकारी अधिक से अधिक तक पहुंच सके।

पोषण माह के दौरान भी लाईव वेबीनार की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। इसमें कुल 6 वेबीनार आयोजित किये गये जिनमें लगभग 1.50 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता रही।

पोषण वाटिका के महत्व को बताने वाली एक लघु फिल्म तैयार की गई और उसे प्रचारित किया गया। आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, निजी एफ. एम. चैनल्स पर दो तरह के ऑडियो जिंगल स्पॉट 580 बार प्रसारित कराये गये।

पोषण माह में नवाचार

मध्यप्रदेश में सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा को आत्मसात करते हुए पोषण माह यानी 1 सितम्बर से 30 सितम्बर के दौरान पोषण जागरुकता के नए–नए प्रयोग किए गए।

पालकी से सुपोषण की अनूठी पहल

खंडवा जिले में पोषण माह में जनभागीदारी का नवाचार

'भारतीय परम्परा समुदाय की भागीदारी में विश्वास करते रहा है। पालकी शब्द भी सामुदायिक भागीदारी और मिलजुल कर रहने का प्रतीक है। 'पालकी' शब्द सुनते ही पुराने जमाने की वह सवारी याद आ जाती है, जिसमें कोई राजा–रानी या प्रभावशाली व्यक्ति की यात्रा होती थी। पालकी में विराजने वाला हमेशा अपनी प्रजा या समाज को देने में सक्षम होता था, और वह अपनी सामाजिक–नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए देता भी था। हमारे समाज का यही ताना/बाना रहा है जो सभी को साथ लेकर चलता है।

सहयोग करने और साथ लेकर चलने की करने की भावना वाली 'पालकी' की इसी अवधारणा को मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में समुदाय ने एक बार फिर जीवंत कर दिया। देश भर में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण माह–2021 के दौरान 'पोषण पालकी' के इस अनूठे अभियान में अभूतपूर्व जनभागीदारी ने इसे खासी लोकप्रियता प्रदान की।

'पोषण पालकी' बच्चों और महिलाओं के पोषण से जुड़ा ऐसा पात्र बन गया जो विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषण तत्वों का मिलाजुला भंडार था। महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से सफलतापूर्वक चलाये गए अभियान 'पोषण मटका' को वृहद स्तर पर सामुदायिक सहभागिता के लिए इसका उपयोग किया।

ऐसे हुई शुरुआत : हर समुदाय में सुबह के भ्रमण के साथ ईश्वर की प्रार्थना का विशेष महत्व है। हम इसे प्रभात फेरियों के रूप में देखते आए हैं। गांवों में प्रभात फेरियों के दौरान समुदाय की खासी भागीदारी होती है। इसी को ध्यान में रखकर लकड़ी के बॉक्स को पालकी का रूप दिया गया। इस पालकी में ग्रामीणों को अनाज दान करना था।

रंगबिरंगे आकर्षक कपड़ों और फूलों से सजी पालकी गांवों की गलियों में ले जाने के लिए तैयार थी। पालकी के साथ ही सजधज कर तैयार थे, गांव के युवा जो पोषण पालकी यात्रा को उत्सव का रूप देने के लिए जनजागरूकता के लिए आगे आए थे। साथ ही आशा दीदी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, किशोरी व बालिकाओं ने अपने–अपने घरों में पोषण पालिका की तारीख, समय आदि का प्रचार बखूबी कर दिया था।

संग्रहण अन्न और आशीर्वाद का : पोषण पालकी की शुरुआत गांव के किसी चौपाल या चौक से होती। जब पालकी गांवों में निकलती तो लोग उसका वैसे ही सम्मान करते जैसे किसी धार्मिक अवसर पर चल समारोह का डोला या रथ निकलता। किसी ने पालकी की आरती उतारी तो किसी ने स्पर्श करके प्रणाम किया। यात्रा के दौरान और पूर्व ग्रामीणों की दान करने की भावना को प्रोत्साहित किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीणों ने बढ़–चढ़कर अन्नदान किया।

पोषण पालकी जहां–जहां जाती वहां बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया जाता। आहार के साथ देने वाले की दुआएं भी जमा कर ली गईं। इस तरह यह कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की सहभागिता हुई।

इलाके के भूमका, बड़वा बाबा और भगत को सकारात्मक सोच में शामिल करते हुए उनसे पोषण के महत्व का संदेश दिलवाया गया जो स्थानीय लोगों पर विशेष प्रभाव छोड़ता है।

पोषण गुणों से भरपूर पालकी का भंडार : पोषण पालकी में लोगों ने अनाज के साथ सब्जियां दान की। अलग–अलग प्रकार की दाल, कूटा हुआ धान, चावल, हरी सब्जियां दान की गईं। हरी सब्जियां जहां विटामिनों की पूर्ति करती हैं

तो दालें प्रोटीन की। कूटा हुआ धान फाइबर से परिपूर्ण। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, स्थानीय मिलेट्स सावा, भादली या भाजरी को भी शामिल किया गया। खास बात यह है कि ग्रामीण महिलाओं ने अपने घर की पोषण वाटिका की सब्जियां भी पालकी में डालीं। समिति ने चुकंदर और सहजन की पोषण महत्ता बताते हुए शामिल किया गया। यह फली गांवों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आवश्यकता थी इसके उपयोग से शरीर में होने फायदे बताने की।

खिचड़ी की पोषण प्रसादी : पोषण पालकी निकाले जाने के करीब डेढ़ से दो घंटे में एक पालकी में करीब एक क्विंटल अनाज इकट्ठा हो जाता था। पालकी यात्रा में प्रत्येक गांव में 300 से 400 लोग शामिल होते थे। आंगनवाड़ी या किसी स्थान पर एकत्र किए गए अनाज की खिचड़ी बनाई जाती थी। इस खिचड़ी में हरी सब्जियां भी शामिल की गईं। खिचड़ी बनाने में स्थानीय स्तर पर संग्रहित किए गए सोयाबीन और सरसों के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब पोषण आहार को ग्रामीणों के बीच पोषण प्रसादी के रूप में ग्रहण करने का आग्रह किया गया तो उन्होंने उसी भाव से ग्रहण किया जैसे किसी धार्मिक आयोजन के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। खंडवा जिले में निकाली गई छह पालकी यात्राओं में 20 से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों की सहभागिता रही।

प्रभाव : पोषण पालकी के बाद जब ग्रामीण महिलाओं, किशोरियों से बात की गई तो उन्हें न केवल पोषण माह के इस अनूठे कार्यक्रम आनंद आया बल्कि भोजन को गुणकारी तरीके से पकाने की उत्सुकता बढ़ी। सहजन और चुकंदर की मांग बढ़ गई। शहर या दूसरे गांवों से जाने वाली दीदी या भैया से अब चुकंदर मंगाए जाने लगे। सहजन की फली, पत्तियों को पहले जैसे नजरअंदाज किया जाता था अब वैसा नहीं होता।

जब चली बच्चों की पोषण रेलगाड़ी

बड़वानी में बच्चों ने पोषण माह में निभाई सहभागिता

कुछ बच्चे आए और नाराजगी के साथ बोले आप बड़ों के लिए तो पोषण माह में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। बच्चों की बात सुनकर सामाजिक कार्यकर्ता एक पल को चौंक गए, बात सही भी थी।

दरअसल राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान जागरुकता के लिए तमाम गतिविधियां आयोजित की जा रही थीं, पर बच्चों के लिए कोई गतिविधि की योजना नहीं बनाई जा सकी थी। जब बच्चों की बात पोषण कार्यकर्ताओं तक पहुंची तो उन्होंने बच्चों से खुद ही पूछ लिया, अच्छा बताओ, क्या कर सकते हैं ?

प्रीती वास्कले, विशाल ठाकुर सहित कई बच्चों ने भी बड़ी होशियारी से कहा कि यदि बड़ों के पास बैलगाड़ी है तो हमारे पास भी तो एक गाड़ी है। यह बात सुनकर बच्चे मुस्कुराने लगे। कार्यकर्ताओं को बच्चों का आइडिया समझ आ चुका था। दरअसल इस गांव में बड़ों के लिए बैलगाड़ी के जरिए पोषण माह का संदेश घर–घर पहुंचाया जा रहा था, इसे देखकर बच्चों ने कहा कि हमारी गाड़ियों से भी यह संदेश जाएगा। बस योजना पर काम शुरू हो गया।

करी गांव मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में आने वाला एक गांव है। इस साल पोषण माह के अंतर्गत इस गांव में महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जागरुकता के काम किए जा रहे हैं।

सब बच्चों ने मिलकर तय किया कि किस दिन हमें अपना कार्यक्रम करना है। एक–एक करके बीस बच्चों ने अपनी बेअरिंग वाली गाड़ियों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह सभी गाड़ियां वह अपने खेलने में इस्तेमाल करते हैं। इन गाड़ियों पर संस्था के कार्यकर्ताओं ने पोषण माह के जागरुकता से संबंधित बैनर और पोस्टर लगवाए। और नाम दिया पोषण रेलगाड़ी।

दरअसल इस गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां तक रेलगाड़ी पहुंच ही नहीं पाई है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पौने दो सौ किलोमीटर दूर इंदौर में है। सनावद–बड़वाह में भी एक छोटी रेलगाड़ी चलती है जो महू स्टेशन तक जाती है। इनमें से कई बच्चों ने रेलगाड़ी टी.व्ही. में या फोटो में ही देखे हैं। रेलगाड़ी के प्रति बच्चों में खासा रोमांच रहता हैं तो बच्चों ने जब एक के पीछे एक करके अपनी पोषण रेलगाड़ी बनाई तो उनका रोमांच चरम पर पहुंच गया। हालांकि यह रेलगाड़ी उस छुक–छुक रेलगाड़ी से थोड़ी अलग थी, पर बच्चों की रेल तो बच्चों के जैसे ही होगी न।

रेलगाड़ी शुरू हुई और गांव की हर गली में जोर–जोर से नारे लगाने के साथ चलने लगी। 'पोषण आहार जो खाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा,' 'स्वच्छता अपनाना है, समाज में खुशियां लाना है','मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ स्वस्थ हो गांव अपना' जैसे नारे सभी गाड़ियों पर लिखे गए।

जब यह गाड़ी गाँव में चल ने लगी तो लोग घरों में से निकलकर देखने लगे कि आज बच्चों ने आखिर कौन सा नया काम कर दिया है। यह समझदारी देखकर गांव

के बुजुर्ग बच्चों की तारीफ करने लगे। जिनके पास मोबाइल फोन थे, वह बच्चों की इस अनूठी पोषण रेलगाड़ी को देखकर वीडियो बनाने लगे और फोटो खींचने लगे। यह रेलगाड़ी जहां बच्चों में पोषण और स्वच्छता का संदेश प्रसारित कर रही थी, वहीं बड़ों के लिए भी प्रभावी संदेश छोड़ रही थी।

गांव की शिक्षक सुनीता शुक्ल ने कहा कि यह शिक्षा वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे खुद ही समझदारी से भरी बातें कह रहे हैं। वास्तव में हमें इनको देखकर खुशी हो रही है कि गांव के बच्चे एक अच्छी पहल कर रहे हैं।

कहानी लेखन कार्यशाला : महिला हिंसा रोकथाम और महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित सफल गाथाओं, कहानियों के संकलन हेतु कहानी लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्याशाला में प्रतिभागियों द्वारा लिखी गई कहानियों में से 20 कहानियों को अंतिम रुप से चयनित किया गया।

हम भी कोरोना योद्धा : कोरोना संक्रमण के दौरान हितग्राहियों और आमजनों के स्वास्थ्य, पोषण या किसी भी तरह की जरूरतों को पूरा करने में प्रदेश की हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने महती भूमिका निभाई है। विभाग की पर्यवेक्षकों ने भी सराहनीय कार्य किया है। अपना दायित्व निभाते हुए कुछ का निधन भी हुआ है। ऐसी ही कोरोना योद्धा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों की सच्ची गाथाओं पर आधारित एक लघु फिल्म का निर्माण कर उसका प्रचार–प्रसार किया गया ताकि उनके द्वारा किए गये प्रयासों की जानकारी जन–जन तक पहुंच सके। इस लघु फिल्म को विभागीय यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है।

आजादी का अमृत महोत्सव : वर्ष 2021–2022 को देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा भी इस महोत्सव में अनेक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है।

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन रणनीति (SBCC)

विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियाँ मजबूत करने, विकास के सूचकांकों में सुधार लाने और महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों के प्रति सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन रणनीति विकसित की जा रही है।

इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में संभाग और जिला स्तर के कुल 1189 अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। प्रतिभागियों का सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के विषय पर उन्मुखीकरण किया गया और उनसे चर्चा कर उन कारकों को समझा गया जो लक्षित समूहों को सुव्यवहार अपनाने के लिये प्रोत्साहित या हतोत्साहित करते है। इसके अलावा चयनित 8 जिलों में कुल 754 महिलाओं, पुरुषों और किशोर–किशोरी आयुवय के हितग्राहियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विमर्श किया गया।

इन साक्षात्कार, रिपोर्ट और डेटा का आंकलन करने के बाद 3 मुख्य विषयगत क्षेत्रों के तहत् 17 मुद्दों का विश्लेषण कर 52 सुव्यवहारों की पहचान की गई है। जिन्हें लक्षित समूहों द्वारा अपनाए जाने पर सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया से कुपोषण, एनीमिया, स्तनपान, पूरक आहार, शिक्षा की कमी, बाल विवाह और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे चिन्हित हुए हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतर्व्यैक्तिक संचार (IPC) सबसे लोकप्रिय और प्रभावी संचार प्रक्रिया एवं नुक्कड़ नाटक, मोबाइल, शार्ट फिल्म, स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया आदि प्रभावी संचार माध्यम चिन्हांकित हुये। इस प्रक्रिया से 19 सुव्यवहारों का चयन कर प्रमुख संदेश विकसित किए गए हैं जो लक्षित समूहों को सुव्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

प्रक्रिया के द्वितीय चरण में विभाग के मैदानी अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, पारस्परिक संचार, प्रचार–प्रसार के कौशल, बाल सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित तकनीकी प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जावेगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत कियान्वित योजनाओं एवं किए जा रहे प्रयासों से विभागीय संकेतांकों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS – 4 (2015-16) एवं NFHS -5 (2020-21) से परिलक्षित सकारात्मक परिवर्तन की स्थिति

संकेतांक	राज्य/ राष्ट्रीय	NFHS 4 (2015-16)		NFHS 5 (2020-21)	
		NFHS 4	राष्ट्रीय रैंकिंग	NFHS 5	राष्ट्रीय रैंकिंग
कम वजन (उम्र के अनुसार वजन)	भारत	35.8		32.1	
	मध्यप्रदेश	42.8	33	33	31
दुबलापन – MAM (लंबाई/ऊंचाई के अनुसार वजन)	भारत	21		19.3	
	मध्यप्रदेश	25.8	32	19	24
गंभीर दुबलापन – SAM (लंबाई/ऊंचाई के अनुसार वजन)	भारत	7.5		7.7	
	मध्यप्रदेश	9.2	30	6.5	17
ठिगनापन (height for age)	भारत	38.5		35.5	
	मध्यप्रदेश	42	32	35.7	30
18 वर्ष की आयु से कम उम्र में विवाह की स्थिति	भारत	26.8		23.3	
	मध्यप्रदेश	32.4	30	23.1	27
जन्म के समय लिंगानुपात	भारत	919		929	
	मध्यप्रदेश	927	17	956	16
कुल जनसंख्या का लिंगानुपात	भारत	991		1020	
	मध्यप्रदेश	948	30	970	27

बजट : एक समग्र विश्लेषण

बजट–एक समग्र विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2021–2022 में महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के लिये मूल बजट में अनुपूरक (प्रथम एवं द्वितीय) एवं पुर्नविनियोजन को समाहित करते हुऐ कुल राशि रूपये 518573.17 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध कुल राशि रूपये 273010.48 लाख (31 जनवरी 2022 तक) का व्यय किया है।

विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2019–2020 में कुल राशि रूपये 538771.75 लाख, 2020–2021 में कुल राशि रूपये 522206.42 लाख एवं 2021–2022 में रूपये 518573.17 लाख का बजट अनुपूरक (प्रथम एवं द्वितीय) एवं पुर्नविनियोजन सहित प्रावधानित हुआ है। जिसके विरूद्ध वर्ष 2019–2020 में कुल राशि रूपये 461004.31 लाख, 2020–2021 में कुल राशि रूपये 481999.54 लाख एवं 2021–2022 मेंरूपये 273010.48 लाख (31 जनवरी 2022 तक) व्यय किये गये जो निम्न चार्ट से स्पष्ट है :–

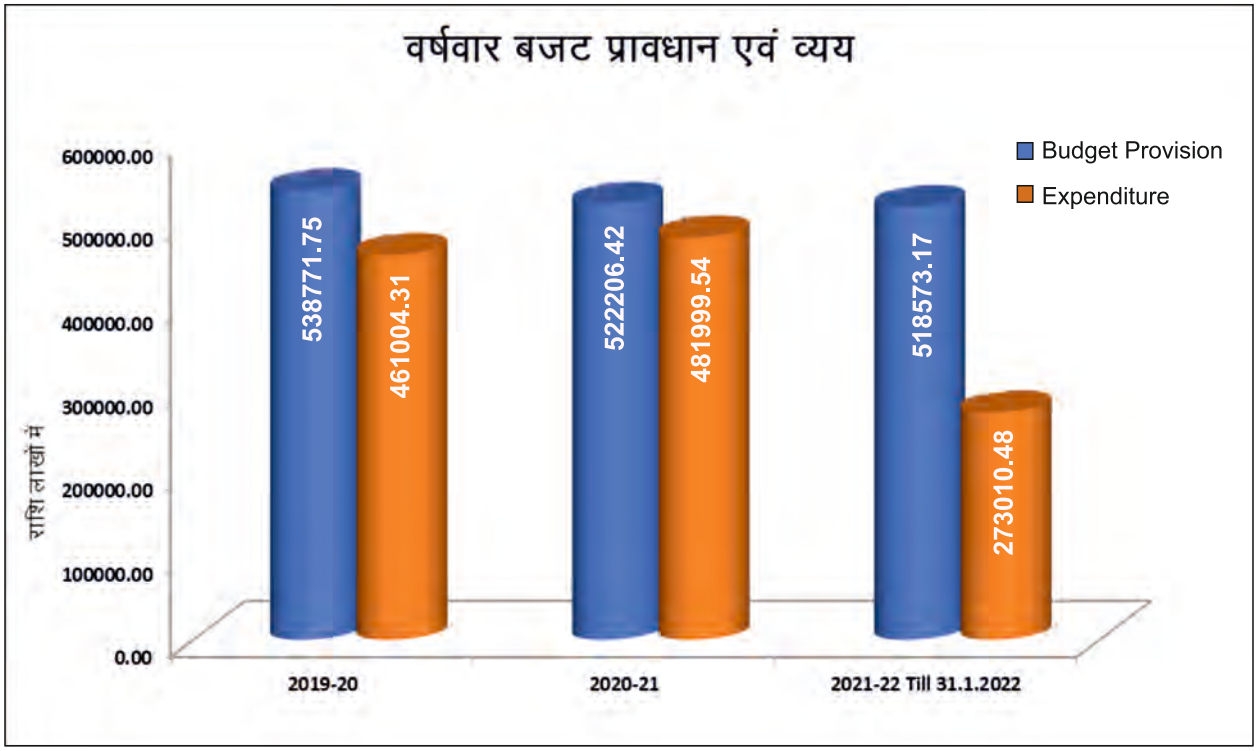

वित्तीय प्रावधान एवं व्यय की योजनावार जानकारी

राशि लाखों में

योजना कोड	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2020–21		वित्तीय वर्ष 2021–22 दि. 31.1.22 तक की स्थिति में	
		कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुर्न विनियोजन/ समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/ पुर्नविनियोजन /समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुर्न विनियोजन/स मर्पण सहित)	कुल व्यय
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	149728.86	139385.03	115695.94	110677.54	144446.20	77268.59
0658	आंगनवाडी सेवा योजना	119912.91	111386.70	117993.02	106844.89	118210.02	83557.64
5643	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	87041.25	86081.49	87041.28	86689.23	87041.25	68579.57
6392	किशोरी बालिका योजना	6204.01	4507.47	768.40	669.65	4499.98	0.00
6917	प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना(पी.एम.एम.व्ही. वाई.)	17625.00	12508.85	16760.84	14319.11	19627.32	6934.66
5360	आगंनवाडी केन्द्रों का भवन निर्माण	6000.01	3636.28	3776.02	3053.49	9000.00	8951.20
6442	अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन	2409.67	1311.84	7.40	7.30	0.03	0.00
1291	आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर के सुधार की परियोजना ISSNIP / NNM	27503.57	10866.75	6156.39	4759.57	15501.94	2947.04
5094	मंगल दिवस	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9041	संचालनालय महिला एवं बाल विकास	12562.48	10797.99	12141.45	11736.40	13515.73	9916.03
1405	उदिता परियोजना	249.55	49.53	230.40	178.44	199.66	64.44
0683	लालिमा योजना	127.31	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5508	महिला बाल विकास के भवनों का रखरखाव	409.19	73.32	1.70	1.69	0.00	0.00
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	318.20	81.73	4.46	4.45	0.00	0.00
0851	राष्ट्रीय झूलाघर योजना	200.00	0.00	100.00	72.49	598.50	0.00
7300	स्व. श्री सुशील चंन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
2041	टंट्या भील स्कूल यूनिफार्म योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2042	आंगनवाडी केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736	पन्ना धाय डे–केयर योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

योजना कोड	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2020–21		वित्तीय वर्ष 2021–22 दि. 31.1.22 तक की स्थिति में	
		कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुर्न विनियोजन/ समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/ पुर्नविनियोजन /समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुर्न विनियोजन/स मर्पण सहित)	कुल व्यय
7737	किशोरी बालिका समग्र स्वच्छता अभियान योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739	रानी दुर्गावती विशेष पोषण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	मल्टी सेक्टर न्यूट्रीशन कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9248	किशोरी शक्ति योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7449	सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण	1352.00	0.00	0.01	0.00	1352.02	0.00
5067	लाड़ली लक्ष्मी योजना	92148.00	71895.13	152579.52	136362.17	92153.22	9238.99
9223	तेजस्वीनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	7484.99	4727.67	6754.28	5495.59	7516.22	3896.12
6647	महिला सशक्तिकरण संचालनालय की स्थापना	1372.64	1236.59	0.00	0.00	0.00	0.00
6740	बेटी बचाओ अभियान	358.00	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
7698	शौर्यादल का गठन	519.54	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00
7700	मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	393.32	253.29	0.10	0.00	0.10	0.00
5060	बाल भवन की स्थापना	418.50	335.79	409.20	324.71	435.66	282.83
7694	लाडो अभियान	280.41	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9132	उषा किरण केन्द्र (निराश्रित महिला गृह, सिलाई केन्द्र तथा महिलाओं के लिये संस्था)	105.85	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5608	महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	500.00	300.00	500.00	100.00	324.00	100.00
5827	बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन	263.73	207.29	258.14	201.57	271.21	157.71
1327	वन स्टाप सेंटर सखी	3.23	2.77	0.01	0.00	0.01	0.00
8681	राज्य महिला आयोग का गठन	310.76	235.16	300.53	234.22	316.03	196.65
5063	घरेलू हिंसा के विरूद्ध महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र	14.23	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
5033	वेश्या उन्मूलन योजना (जाबाली योजना)	377.36	97.45	50.01	16.71	150.01	18.98

योजना कोड	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2020–21		वित्तीय वर्ष 2021–22 दि. 31.1.22 तक की स्थिति में	
		कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुर्न विनियोजन/ समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/ पुर्नविनियोजन /समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुर्न विनियोजन/स मर्पण सहित)	कुल व्यय
9042	बालवाड़ियों, शासकीय अनाथालयों तथा कुष्ठरोगियों के लिये गृह	46.96	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2098	म.प्र. महिला वित्त विकास निगम	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7696	स्वागतम लक्ष्मी योजना	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3457	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (महिला कल्याण कोष के अन्तर्गत योजनाएं)	90.93	17.23	90.93	42.64	90.93	5.46
1289	म.प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान	50.00	37.43	50.00	24.70	692.49	672.00
1421	वन स्टाप सेंटर सखी	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1326	स्वधार गृह	350.00	240.87	250.00	121.62	250.00	11.13
5285	राज्य महिला संसाधन केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0830	किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किशोर कल्याण बोर्ड का गठन	32.60	0.34	30.10	1.83	27.60	7.00
5871	म.प्र. महिला वित्त विकास निगम की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6791	संचालनालय महिला बाल विकास का भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8052	किशोर कल्याण निधि योजना	2.00	0.00	10.00	0.00	100.00	0.00
1422	ग्राम कन्वर्जेशन एवं सुविधा सेवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1914	उज्जवला योजना	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2367	महिला शक्ति केन्द्र	1655.14	20.10	21.81	0.00	1430.02	0.00
2375	सेफ सिटी कार्यक्रम	174.50	0.00	174.50	59.53	174.51	17.99
1071	महिला हेल्पलाईन 181	114.66	59.11	49.97	0.00	0.07	0.00
8857	मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल सेवा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	648.40	186.45
7854	पोषण अभियान 2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
	महायोग महिला एवं बाल विकास	**538771.75**	**461004.31**	**522206.42**	**481999.54**	**518573.17**	**273010.48**

जेंडर बजटिंग– 2021–22

जेंडर दृष्टिकोण से बजट विश्लेषण एवं बजटीय प्रावधान, महिलाओं के समग्र विकास हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं/नीतियों में जेंडर का समावेश हो, इन्हीं उद्देश्यों से जेंडर रेस्पांसिव बजटिंग पर विभाग कार्य कर रहा हैं।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 से जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई और महिला एवं बाल विकास विभाग इसका नोडल विभाग हैं। इस वर्ष विभाग द्वारा यू. एन. वीमेन के सहयोग से जेंडर बजटिंग पर स्कोपिंग स्टडी की गई। स्कोपिंग स्टडी के आधार पर विभाग द्वारा जेंडर बजटिंग पर कार्ययोजना बनाकर वित्त, योजना एव प्रशासन अकादमी को प्रेषित की गई। 30 से भी ज्यादा विभागों के साथ Training need assessment कर जेंडर बजटिंग पर Training Module तैयार किया जा रहा हैं। सर्वे, फोकस ग्रुप डिस्कशन एवं इंटरव्यू के माध्यम से प्रदेश में जेंडर एवं जेंडर बजटिंग पर जरूरतों को समझा गया, जिसे Training Module में सम्मलित किया जायेगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका जेंडर बजटिंग नोडल मशीनरी की तरह हैं। जो राज्य के विभागों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है और सुनिश्चित करता हैं कि सरकार द्वारा जेंडर बजट को उसके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के हर चरण तक महिलाओ के हित की दृष्टि से देखा जाए। इस पहल में यू एन वीमेन के सहयोग से जेंडर बजटिंग पर कार्य किया जा रहा हैं। 35 विभागों में जेंडर बजट सेल स्थापित हैं। सितम्बर 2021 में दस विभागो के जेंडर बजट सेल के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जनजातीय कार्य, महिला राज्य आयोग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मुख्य चुनाव आयोग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि एवं सहकारिता विभाग के साथ जेंडर बजटिंग प्रक्रिया, प्रगति एवं विभागों में किये जा कार्य पर चर्चा की गई। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरुप कृषि विभाग ने जेंडर बजट सेल का गठन किया। जेंडर बजट के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा यू. एन. वीमेन के सहयोग से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग की योजनाओं पर भी शोध भी किया जा रहा हैं। विभिन्न विभागों के जेंडर बजट स्टेटमेंट को और अधिक ग्राह्य एवं परिणाम मूलक बनाने हेतु विभाग द्वारा वित्त विभाग के साथ भी चर्चा की गई। जेंडर बजट पर प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा भी राशि दी जाती हैं।

चाइल्ड बजटिंग

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रथम बार चाइल्ड बजटिंग की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में 7 राज्यों द्वारा चाइल्ड बजटिंग अवधारणा पर कार्य किया जा रहा हैं। बच्चों के लिए पर्याप्त संसाधन विकसित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बजट 2022–23 अंतर्गत बाल बजट को सम्मिलित कर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य उन योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधानों कोप्राथमिकता के साथ प्राप्त करना है जो 18 वर्ष से काम आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। मध्यप्रदेश outcome & oriented चाइल्ड बजटिंग विकसित करने वाला देश का प्रथम राज्य होगा।

मध्यप्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो की हैं जो कि राज्य के युवा आबादी का सूचकांक हैं। प्रदेश बच्चों के अधिकार, विकास और संरक्षण में हमेशा से जागरूक एवं प्रयत्नशील रहा हैं। चाइल्ड बजटिंग इसी सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम हैं ।

मध्यप्रदेश outcome & oriented अर्थात ''परिणामोन्मुखी'', चाइल्ड बजटिंग विकसित कर रहा हैं। इसका यह उद्देश्य है कि बच्चो के सूचकांक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, अधिकार वांछित परिणामों पर केंद्रित कर बजट में प्रावधान किया जाए। इस हेतु विभाग द्वारा 18 विभागो को चिन्हित किया गया हैं जिसमें मुख्यत : महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ–साथ लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, आयुष विभाग, संस्कृति विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रम विभाग, विधि और विधायी कार्य विभाग, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खेल और युवा मामले विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग आदि सम्मिलित किए गए है।

"लाड़ली लक्ष्मी उत्सव"
के अवसर पर
माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा
श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
प्रदेश की 21,650 लाड़ली बेटियों को 5 करोड़
99 लाख रुपये
लाड़ली लक्ष्मी छात्रवृत्ति राशि
का अंतरण
दिनांक : 14 अक्टूबर 2021, दिवस : गुरुवार
स्थान : मिंटो हाल , भोपाल
आज़ादी का अमृत महोत्सव
महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

संचालनालय महिला एवं बाल विकास

विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

mpwcd.nic.in | mpwcdmis.gov.in | esanchayika.mp.gov.in